33वां

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

ह. स. क. क.

HSCC

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

लाभांश प्रस्तुतिकरण समारोह – 2015–16

दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को श्री ज्ञानेश पाण्डेय, सी. एम. डी., एच एस सी सी ने 16.38 करोड़ रुपये (प्रदत्त पूंजी का 683%) का श्री सी. के. मिश्रा, माननीय सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की उपस्थिति में श्री जगत प्रकाश नड्डा, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को लाभांश चैक प्रस्तुत करते हुए। इस अवसर पर श्री के. बी. अग्रवाल (अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्री अरुण सिंघल, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्री सुधीर कुमार (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा एचएस सी सी की ओर से श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग), श्री एस. सी. गर्ग, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं), श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा मंत्रालय और एच एस सी सी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में चैक प्रस्तुत किया गया।

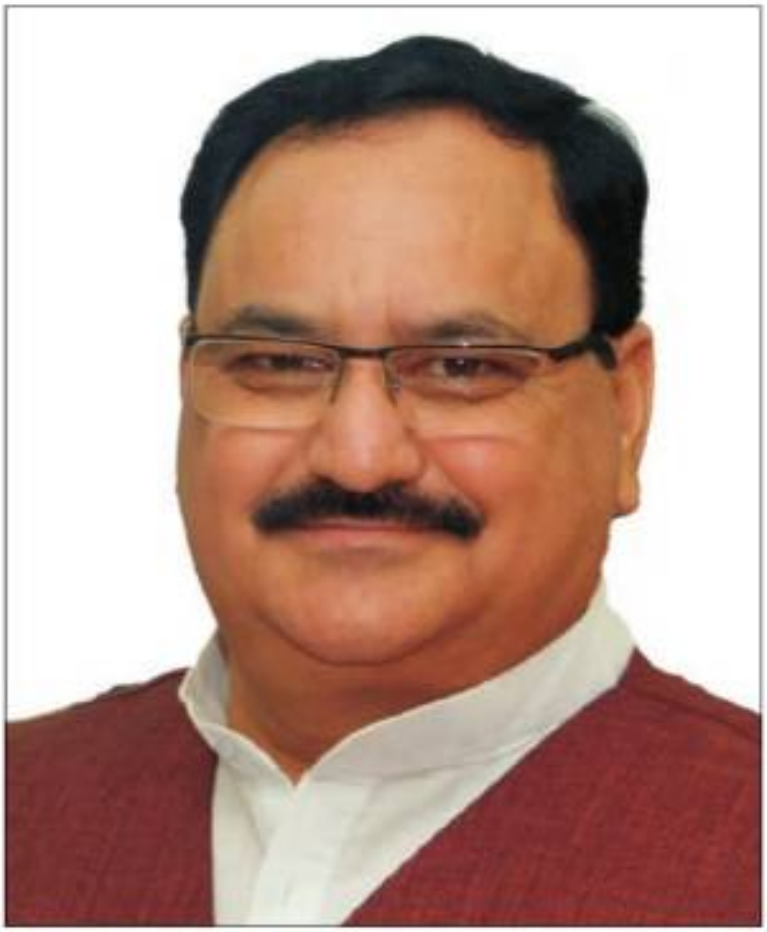

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण मंत्री

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य मंत्री

श्रीमती अनुप्रिया पटेल
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य मंत्री

श्री सी. के. मिश्रा
माननीय सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

निदेशक मंडल

श्री ज्ञानेश पाण्डेय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती विजया श्रीवास्तव
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री के. सी. सामरियां
संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
पूर्व जे.एस., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस. के. जैन
निदेशक (इंजीनियरिंग)

विषय–सूची

अध्यक्ष महोदय का भाषण 01

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन तथा कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति 04

सेवा वर्णक्रम 05

शेयर धारकों को सूचना 06

कार्य निष्पादन पर एक नजर 07

वित्तीय सारांश 09

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 10

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 28

सचिवालय लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 32

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 37

31.03.2016 को तुलन–पत्र 45

31.03.2016 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा 46

31.03.2016 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण 47

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (टिप्पणी संख्या –1) 48

टिप्पणी संख्या 2–19 53

वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियां (टिप्पणी संख्या –20) 60

अध्यक्ष महोदय का भाषण

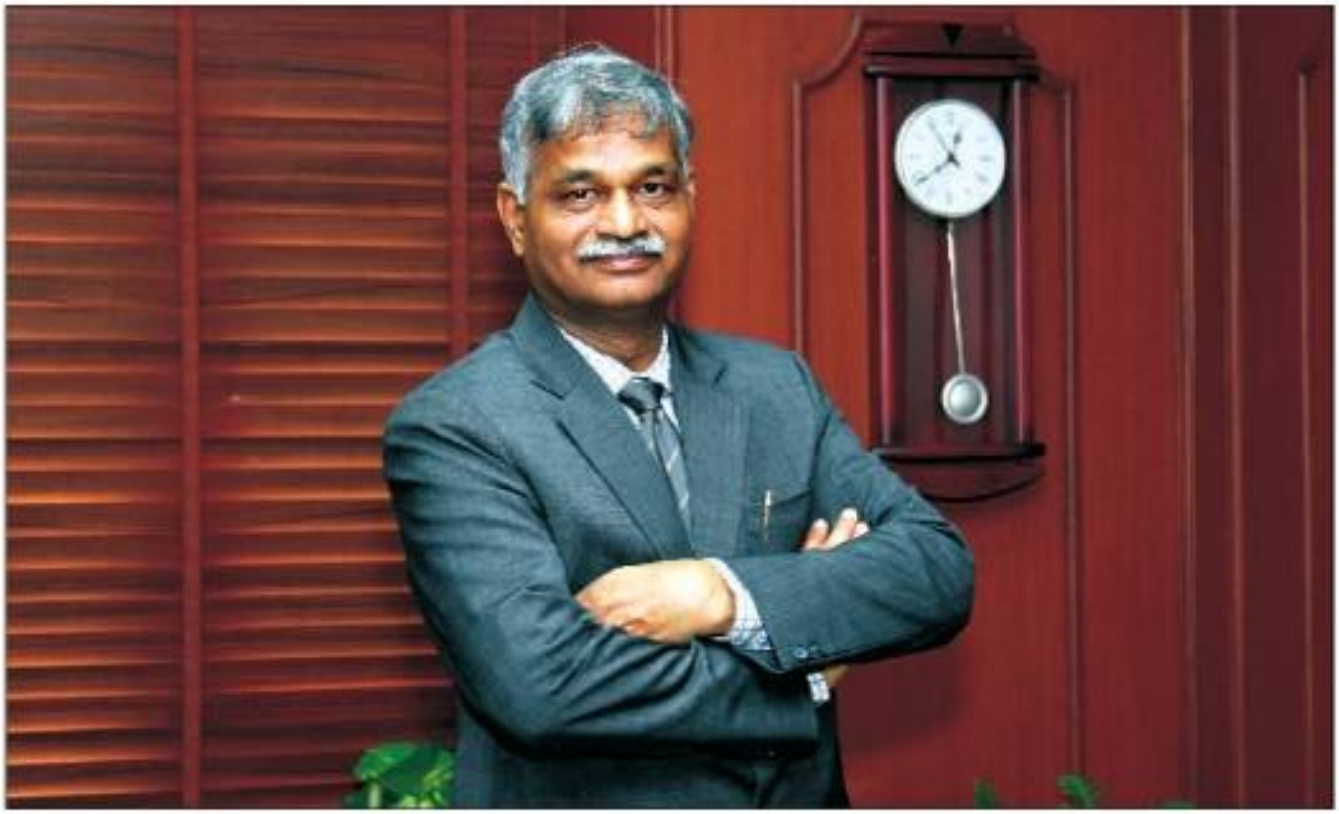

प्रिय अंशधारकों,

एच एस सी सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, मुझे आपकी कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम–सभा बैठक (ए.जी.एम.) में आप सभी का स्वागत करते हुये बेहद खुशी हो रही है। आज इस अवसर पर आपके आगमन तथा वर्ष के दौरान कम्पनी को आपके अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन के लिये मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

वर्ष 2015–16 की डायरेक्टर्स रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा–परीक्षक खाते पहले से ही आपके पास हैं तथा आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ने की आज्ञा चाहूँगा।

उलब्धियों की समीक्षा

जैसा कि आपने वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, वर्ष 2015–16 के दौरान, हमने विकास की तर्ज पर तेजी से उन्नति करते हुये कॉरपोरेट रणनीति एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों पर रहकर एक और वर्ष पूरा कर लिया है जो कम्पनी के शानदार वित्तीय परिणाम एवं उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विशेषरूप से जब अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी और मुद्रास्फीति में अधिकतम गिरावट तथा व्यापार जगत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कम्पनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके यह उपलब्धि हासिल की है।

मुझे आपको सूचित करते हुये खुशी हो रही है कि 31 मार्च, 2016 को वर्ष की समाप्ति तक आपकी कम्पनी ने समस्त क्षेत्रों एवं कार्यकलापों में निरन्तर प्रगति की है।

कम्पनी ने अब तक की सबसे उच्चतम कुल आय, परामर्श शुल्क, कर–पूर्व लाभ, कर–पश्चात लाभ, राजस्व एवं अधिशेष (सरप्लस) अर्जित किया है।

मुझे शेयर–होल्डर्स को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, गत वर्ष की 1106.98 करोड़ रूपये वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आय 575.77 करोड़ रूपये के मुकाबले इस वर्ष 92.26% का अधिकतम लाभ हुआ है जोकि अब तक की उच्चतम आय है। गत वर्ष की 131.28% वृद्धि के परिणामस्वरूप परामर्श शुल्क 97.78 करोड़ रूपये से बढ़कर 42.28 करोड़ रूपये हो गया है, जो भारत में औसत औद्योगिक विकास दर की तुलना में 15% अधिक है।

कम्पनी ने गत वर्ष के कर–पूर्व लाभ के तहत 37.95 करोड़ रूपये के मुकाबले 86.87 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया है। कम्पनी ने वर्ष 2015–16 के तहत कर–पूर्व लाभ पर 128.91% की वृद्धि अर्जित की है। कम्पनी की गत वर्ष 122.58% वृद्धि के परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ 24.54 करोड़ रूपये के मुकाबले इस वर्ष बढ़कर 54.62 करोड़ रूपये हो गया है। आपके सहयोग द्वारा आपकी कम्पनी ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसकी बदौलत एच एस सी सी भारत में ऊंचाईयों की ओर अग्रसर होकर पी एस यू का दर्जा हासिल किया है।

मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि कम्पनी ने वर्ष 2015–16 में वर्तमान वर्ष के लाभ के अलावा प्रदत्त शेयर पूंजी (पेड–अप केपिटल) 16.38 करोड़ रूपये पर 683% का सबसे उच्चतम लाभांश अर्जित किया है। लाभांश घोषित करने के लिये कम्पनी का यह लगातार 32वां वर्ष है। इस वर्ष के लाभांश का भुगतान करने पर, भारत सरकार को भुगतान किया गया संचयी लाभांश कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 24 गुणा के आस–पास 56.81 करोड़ रूपये होगा।

हैल्थकेयर सैक्टर का प्रदर्शन

हैल्थकेयर सैक्टर का भविष्य विशेष रूप से भारत में अस्पताल वैश्विक रूख के साथ तुलना में बहुत उज्जवल है। भारत भवनों के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं, उपकरणों, जनशक्ति और उनके प्रशिक्षण शर्तों और संबंधित क्षेत्रों में बहुत पीछे है, जिनमें कम्पनी को बहुत काम करना है।

विकसित देशों के मुकाबले भारत में 1000 मरीजों के बिस्तरों पर लगभग 0.9 बिस्तर उपलब्ध है जिनकी 1000 रोगियों के प्रति लगभग 3.4 के अनुपात से वृद्धि हुई है। बिस्तरों के बढ़ने से भवनों, उपकरणों और जनशक्ति सहित समग्र बुनियादी ढांचे में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की जनशक्ति पर प्रति व्यक्ति खर्च में भी बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप चालू परियोजनाओं हेतु अन्य विकसित देशों की तरह कम करने के लिये इस तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिये प्रयासरत हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके संस्थान, राज्य सरकारों से खुली बोली के माध्यम से कम्पनी को प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने का सबसे उच्चतम कारोबार मिला है, वर्तमान वर्ष के दौरान, इसमें विभिन्न संस्थानों और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरुप डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजनाओं एवं प्रापण प्रबंधन का कार्य पुरस्कृत हुआ है।

वर्ष 2015–16 में सुरक्षित महत्वपूर्ण प्रमुख परियोजनाएं

एच एस सी सी गुंटूर, कल्याणी और नागपुर में 3 नये एम्स के निर्माण की एकमात्र निष्पादन एजेंसी है।

एच एस सी सी को संपूर्ण भारत में 19 स्थानों में पी.एम.एस.एस.वाई. फेस–III के तहत पुनर्विकास काम के लिये एकमात्र निष्पादन एजेंसी के रुप में चुना गया है।

इस वित्तीय वर्ष में एच एस सी सी द्वारा सुरक्षित किये गये अन्य कार्य निम्नलिखित है:–

- नाहन, हमीरपुर व चंबा जिलों में तीन 100 मेडिकल कॉलेजों संबंधित अस्पताल
- पाली, राजस्थान में एक 100 मेडिकल कॉलेज
- विक्टोरिया अस्पताल, बंगलौर, कर्नाटक के परिसर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोथेरेपी और त्वचा विज्ञान के लिये अस्पताल ब्लॉक।
- 100 नए – मेडिकल कॉलेज के निर्माण – नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश में टॉनो रीबा राज्य से जुड़े अस्पताल।
- मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एम.आई.एम.ई.आर.), फॉल्कवान, मिजोरम का निर्माण।

पुरस्कार और मान्यता

एच एस सी सी को व्यापक रूप में मिले पुरस्कार और मान्यतायें निम्नलिखित हैं :–

- वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिये–सार्वजनिक उपक्रम उत्कृष्टता पुरस्कार
- स्कॉच – मेरिट अवार्ड हेतु बी.एस.ई. आर्डर–2016
- वर्ष–2016 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई से स्कॉच–बी.एस.ई. से प्राप्त–स्कॉच–बी.एस.ई. प्रौद्योगिकी तैनाती हेतु पुरस्कार
- वर्ष–2016 में छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त बैस्ट पी.एस.यू. –लीडरशिप अवार्ड
- वर्ष–2016 में स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन में – स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ – ईलेट्स लीडरशिप अवार्ड
- सफदरजंग अस्पताल का पुनर्विकास करने तथा भारत के 19 स्थानों पर मौजूदा विभिन्न सरकारी मेडिकल संस्थानों का उन्नयन करने के लिए एच एस सी सी द्वारा किये जा रहे बेहतरीन कार्य के लिये गोवा के उप–मुख्यमंत्री द्वारा नॉलेज एक्सचैंज समिट–2016 में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड
- डिजिटल इण्डिया नॉलेज एक्सचैंज समिट–2016 में स्वास्थ्य संबंधी पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिये अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये बेस्ट पी.एस.यू. पुरस्कार
- 6th हैल्थकेयर लीडर्स फोरम–2016, नई दिल्ली में देश भर के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी देखभाल परियोजनाओं पर बहुत बढ़िया डिजिटिकरण पर काम करने के लिये विशेष मान्यता

मिनी रत्न स्थिति

वर्ष के दौरान, वर्ष 2002 में मिनी रत्न–श्रेणी–II के रूप में आंके गये पी.एस.यू. से बदल कर दिनांक 31.12.2015 से एच एस सी सी ने मिनी रत्न–श्रेणी–I के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा हासिल कर लिया है।

शीर्ष प्रबंधन लगातार लागत नियंत्रण, संसाधनों और सिस्टम में सुधार के अधिकतम उपयोग करके रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से कारोबार में निरंतर वृद्धि के साथ–साथ कर–पूर्व लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहा है। कम्पनी ने वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा–निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षर करके समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के तहत "बहुत अच्छा" का दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा, परिणामों के आधार पर वर्ष 2015–16 के दौरान, कम्पनी के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

चूंकि कम्पनी की समस्त गतिविधियां स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्रों से जुड़ी हैं अतः अपनी सभी गतिविधियों और कार्यों में परोक्ष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में, एच एस सी सी ने मैसर्स कृत्रिम अंग निर्माण कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से, सुनने से बाधित विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिये 10 कर्णावत प्रत्यारोपण मशीन लगाने के लिये 60 लाख रूपये का योगदान दिया है। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिये गंगा विकास एवं उसके कायाकल्प के लिये "स्वच्छ गंगा कोष" में 49.24 लाख रूपये तथा रामकृष्ण मठ, कोलकाता में धर्मार्थ औषधालय भवन के निर्माण के लिये 5 लाख रूपये का योगदान दिया है।

लेखांकन नीतियों में बदलाव

वर्ष 2015–16 में, एच एस सी सी ने अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है। समस्त सिविल परियोजनाओं में राजस्व की समस्त मान्यताएं जैसे : कम्पनी के लाभ–हानि खाते में ठेके संबंधी खर्च के मूल्य को सभी कार्यों में राजस्व के तहत मान्यता दी गयी है। ग्राहक की एफ.डी.आर. पर ब्याज से हुई आय को कम्पनी के राजस्व के रुप में मान्यता दी गयी है तथा ग्राहकों को दिए गए ब्याज को व्यय पक्ष के तहत लाभ–हानि के खाते में दर्शाया गया है।

विश्व–व्यापी कारोबार

आपकी कम्पनी ने सार्क–समूह के देशों में विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में भी व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

वृद्धि पर दृष्टि

भारत और ओवरसीज देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मूल्य–वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाएं, अन्य बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं में अपनी कोर क्षमता का लाभ एवं अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक बल–वर्द्धक और सक्रिय काम करने का माहौल पैदा करके परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कम्पनी के रूप में जाना जाये।

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देना।

निगमित प्रशासन

कम्पनी के समस्त प्रदर्शन में व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के क्रम में अपने व्यवहार में पारदर्शिता और देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, जैसे : देख–रेख, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा उचित प्रकटीकरण के पहलु।

वर्ष 2015–16 में, लेखा परीक्षा समिति ने पारिश्रमिक समिति और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) समिति का पुनर्गठन करने और अपने स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी के दो निदेशकों को नामित करने पर विचार कर रही है।

आभारोक्तियां

अन्त में, निदेशक मण्डल तथा स्वयं अपनी ओर से, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा हमारे सभी सम्मानीय हित–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका कम्पनी पर निरन्तर विश्वास बना हुआ है तथा जो हमारे प्रेरणा–स्रोत हैं। मैं अपने सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्शन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे शक्ति–स्रोत रहे हैं।

मैं कम्पनी के मूल्यवान ग्राहक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.), एम्स, पी.जी.आई., चण्डीगढ़, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उनके निरन्तर समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कम्पनी का ध्यान हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.), सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उनके समस्त स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और निरन्तर प्रयासों के लिये सराहना करता हूँ।

आपके द्वारा मुझे दिये गये इस सहयोग और समर्थन के लिये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कम्पनी सफलता की नई बुलंदियों को छुयेगी।

धन्यवाद,

हस्ता./–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान :– नई दिल्ली
तिथि :– 29.11.2016

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन और कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

दृष्टि

" भारत एवं ओवरसीज देशों में हैल्थकेयर से जुड़ी मूल्य–वर्द्धित, समन्वित एवं नवीनतम सेवाओं को उपलब्ध करवा कर इसके विद्वान संव्यवसायिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बल–वर्द्धक एवं कुशलतम कार्य–संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रमुख कम्पनी के रूप में जाना जाये। "

लक्ष्य

" भारत एवं ओवरसीज देशों में भवनों का निर्माण एवं विकास तथा हैल्थकेयर तथा संबंधित अन्य क्षेत्रों में परामर्शदायी संबंधी सेवाओं तथा व्यापक संकल्पना, प्रोजैक्ट परियोजना, वास्तुविद्, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण संबंधित कार्यों के विद्वता–पूर्वक ढ़ांचे को उपलब्ध कराना। "

कॉरपोरेट मूल्यांकन

- ग्राहकों की मूल्यवृद्धि पर विशेष ध्यान देना।
- संगठन के अन्दर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना।
- विद्वता संगठन का सर्जन करना।
- टीम–स्प्रीट को अपनाकर हमारे समस्त कार्यकलापों को योग्य बनाना।

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर परामर्शी सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहक के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना ।

सेवा–वर्णक्रम

संकल्पनात्मक अध्ययन एवं प्रबंधन परामर्श

- पुर्नवास आधारभूत सर्वेक्षण एवं अर्थशास्त्र शिक्षण
- जानपदिक सर्वेक्षण
- निकाय योजना
- साध्यता शिक्षण
- पुनर्निर्माण / पुनर्गठन शिक्षण
- मूल्यांकन शिक्षण

प्रापण

- औषधियां एवं दवाईयां
- मेडिकल उपस्कर
- अन्य उपस्कर
- संचार माध्यम
- उपयंत्र
- फर्नीचर एवं जुड़नार

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना योजना तथा कार्य का पुरस्कार
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- ठेकों का प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना तकनीक प्रणालियां

- स्वास्थ्य एम.आई.एस.
- कार्यप्रणाली समाकलन

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- प्रमुख डिजाइन
- वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
- अभियांत्रिक डिजाइन
- उपस्कर योजना
- व्यर्थ प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

अभियांत्रिक अध्ययन

- नवरूपण / पूनर्वास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता / कार्यक्षमता सुधार

लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेशण
- साईट वितरण
- स्थापना
- जांच–पड़ताल एवं चालू करना
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधता)

• दवा विनिर्माण सुविधाएं
• पशुओं के टीके विनिर्माण सुविधाएं
• विदेशों में मेडिकल पेशेवरों के प्रशिक्षण
• इंजीनियरिंग और रख–रखाव की सुविधाएं
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नए विकास की परियोजनाएं
• जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास

सूचना

संख्या : एच एस सी सी / ए.जी.एम./33वीं/2016 दिनांक : 18.11.2016

यह इसके द्वारा **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि व्यापार सम्बन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में सोमवार, दोपहर 12 : 00 बजे, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को कमरा नंबर 155ए विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में कम्पनी की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन** किया जा रहा है :–

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31.03.2016 तक ऑडिट किये गये तुलन–पत्र, आज तक के दिनांक में समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि खाता और कैश–फ्लो स्टेटमेंट के विवरण के रुप में अंकित तुलन–पत्र को अपनाने के लिए, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ निदेशकों की टिप्पणीयों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
2. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लाभांश की घोषणा।
3. सांविधिक लेखा तथा टैक्स ऑडिट शुल्क का निर्धारण।

कृते बोर्ड की ओर से आदेश

हस्ता./–
(रविन्द्र कुमार पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

सेवामें,

1. कम्पनी के समस्त शेयरधारक
2. कम्पनी के समस्त बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स
3. कम्पनी के सांवधिक लेखा–परीक्षक

टिप्पणियां :

1. एक सदस्य के बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार, एक प्रोक्सी नियुक्त करने, भाग लेने और स्वयं के वोट देने तथा यह आवश्यक नहीं कि वह कंपनी का सदस्य हो।
2. मैसर्स एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को भारतीय महालेखाकार एवं नियंत्रक द्वारा इस कम्पनी को सांविधिक लेखाकार के रुप में चुना गया है।

कार्य निष्पादन पर एक नजर

दिनांक 31.03.2016 को वर्ष की समाप्ति तक एक बार फिर कम्पनी के लेखों की समीक्षा करने पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करते हुये अधिकतम कारोबार 110698 लाख रूपये तथा उच्चतम कर पश्चात लाभ (PBT – Profit After Tax) 5462 लाख रूपये हुआ है।

वर्ष 1983 से कम्पनी अपने अस्तित्व में आयी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी 40 लाख रूपये के परिणाम स्वरूप 240 लाख रूपये प्रदत्त शेयर पूँजी से बढ़कर बाद में इसने अपनी आरक्षित एवं सरप्लस पूँजी से 200 लाख रूपये के बोनस जारी किये हैं। दिनांक 31.03.2016 को कम्पनी का नेटवर्थ बढ़कर 17422 लाख रूपये को पार कर गया है।

इस बदलते परिदृष्य में, यह विकास को बनाए रखने के लिए काफी कम है। एक ही अवसर व्यापार करने के बेहतर तरीकों को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कारोबार के नवीनतम अवसर तलासने तथा नये क्षेत्रों में कारोबार में विविधता लाने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता की संभावना प्रतिबद्धता एवं नई वास्तविकताओं को संरचित दृष्टिकोण की डिग्री पर निर्भर करता है।

हम अपने अतिविशिष्ट ग्राहकों की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों को अपनाकर हैल्थकेयर क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन, नवीनतम सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(लाख रुपये में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आय	4458	5835	6045	57576*	110698*
कर पूर्व लाभ	2352	3600	3714	3795	8687
निवल लाभ	1472	2257	2398	2454	5462
निवल मूल्य	**8948**	**10587**	12081	13933	17422
लाभांश	300	468	492	492	1638
कुल आर्डर–बुक (शुल्क)	5904	24928	30089	10835	27933
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि निर्धारण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अति–उत्तम	उत्कृष्ट (प्रत्याशित)

*टिप्पणी : राजस्व मान्यता नीति के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 बदल लिया गया है, हालांकि वहाँ लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण मुनाफे में कोई बदलाव नहीं आया है।

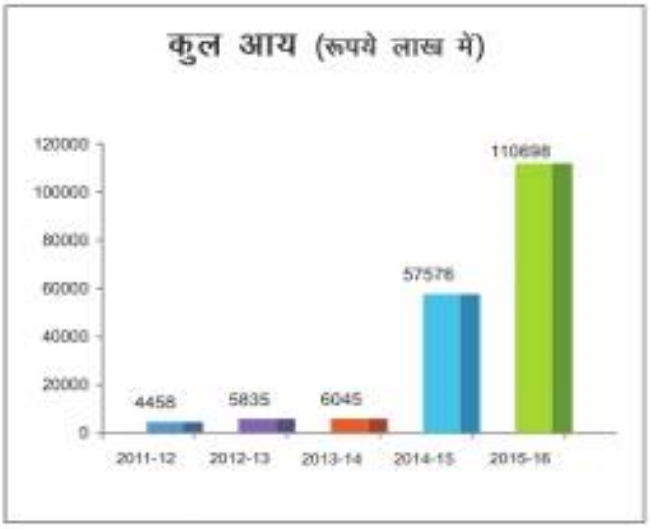

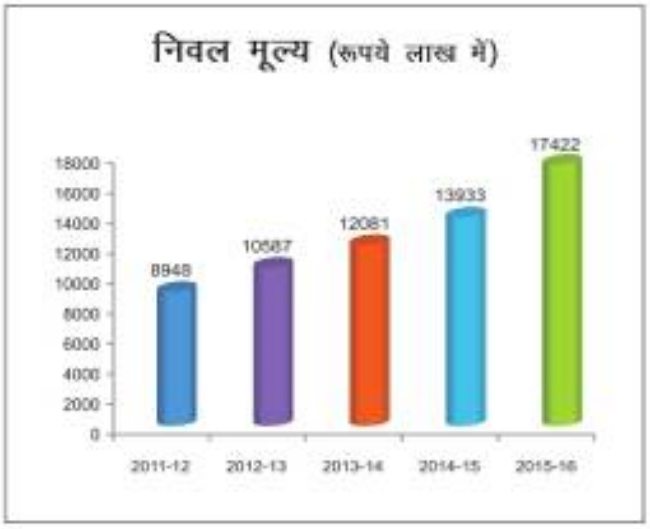

33वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.)

दिनांक 29.11.2016 को एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें श्री सी. के. मिश्रा, माननीय सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), श्री सुधीर कुमार, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), श्री अरुण सिंघल, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), श्री नवदीप रिनवा, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), श्री ज्ञानेश पाण्डेय, सी.एम.डी., एच एस सी सी, श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजी.), श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा एच एस सी सी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	160	160	240	240	240	240	240	240	240	240
आरक्षित एवं सरप्लस	5111	5695	6341	6999	7632	8708	10347	11841	13693	17182
निवल मान	5271	5855	6581	7239	7872	8948	10587	12081	13933	17422
कुल स्थायी परिसम्पत्तियां	727	707	675	632	615	600	685	693	649	635
कार्यशील पूंजी	4455	5105	5811	6440	7117	8568	10200	12053	14165	17519
लगाई गई पूंजी	5271	5855	6581	7072	7731	9168	10885	12746	14814	18154
परिचालन आकड़े										
परामर्श शुल्क / टर्नओवर*	1678	1740	1936	2097	2311	2929	3380	3919	49004*	102180*
ब्याज और अन्य आय	845	1356	1337	1218	1034	1529	2455	2126	8572	8518
कुल आय*	2523	3096	3273	3315	3346	4458	5835	6045	57576	110698
व्यय	1224	1711	1696	2002	1993	2048	2203	2287	53782	101948
सकल लाभ	1299	1385	1577	1385	1357	2409	3632	3758	3864	8750
मूल्यह्रास	45	45	44	39	36	58	32	44	69	63
कर पूर्व लाभ	1254	1340	1533	1346	1321	2352	3600	3714	3795	8687
कर पश्चात लाभ	798	836	970	859	834	1472	2257	2398	2454	5462
कराधान हेतु प्रावधान	456	503	563	487	487	880	1343	1316	1341	3225
लाभांश	208	208	208	173	173	300	468	492	492	1638
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	130	132	139	135	132	124	123	143	153	162
(नियमित वेतनमानों पर)										
अनुपात										
पी.बी.टी. / कुल आय (%)	50	43	47	41	39	53	62	61	59	8
शुद्ध लाभ / कुल आय (%)	32	27	30	26	25	33	39	40	38	5
निवल लाभ / निवल मान (%)	15	14	15	12	11	16	21	20	18	31
प्रति कर्मचारी कुल आय	19	23	24	25	25	36	47	42	42	683
प्रति कर्मचारी अर्जन (ई.पी.एस.) (रूपये)	499	523	404	358	347	613	940	999	1022	2276
प्रति–शेयर बुक–वेल्यू (रूपये)	3294	3659	2742	3016	3280	3728	4411	5034	5805	7259

*टिप्पणी : राजस्व मान्यता नीति के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 बदल लिया गया है, हालांकि वहाँ लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण मुनाफे में कोई बदलाव नहीं आया है।

निदेश मंडल की रिपोर्ट

सेवामें,

अंशधारकों,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन.	:	यू 74140 डी. एल. 1983 जी. ओ. आई. 015459
ii)	पंजीकरण तिथि	:	30.03.1983
iii)	कम्पनी का नाम	:	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
iv)	श्रेणी	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
v)	पंजीकृत कार्यालय	:	205, ईस्ट इण्ड प्लाजा, प्लॉट नम्बर 4, डी.डी.ए.– एल.एस.सी. सेन्टर – II, वसुंधरा इंक्लेव, दिल्ली – 110096
vi)	कॉरपोरेट कार्यालय	:	ई–6(ए), सैक्टर – 1, नौएडा – 201301
vii)	सूचीबद्ध कम्पनी	:	नहीं

परीक्षित लेखों का विवरण

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों और प्रचालन से संबंधित 33वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2014–15 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वर्ष 2015–16 के समस्त वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है जो कम्पनी की ठोस एवं स्वस्थ स्थिति को दर्शाते हैं :–

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2015-16	2014-15	2015-16 में अधिकता (प्रतिशत)
सकल आय	1106.98	575.77	92.26
सकल व्यय	1019.00	537.82	89.47
सकल लाभ	87.98	37.95	131.83
विशिष्ट एवं असाधारण मद	1.11	0.00	100.00
कर पूर्व लाभ	86.87	37.95	128.91
करावधान (निवल)	32.25	13.41	140.49
कर पश्चात लाभ	54.62	24.54	122.58
लाभांश	16.38	4.92	232.93
निवल मूल्य	174.22	139.33	25.04
प्रति–शेयर अर्जित (रूपये)	2275.47	1022.44	122.55

इस वर्ष 31 मार्च, 2016 तक आपकी कम्पनी ने संतोषजनक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। गत वर्ष कम्पनी का सकल लाभ उसकी सकल आय के मुकाबले बढ़कर 92.26% तथा कुल लाभ 122.58% हो गया है।

पूंजीगत ढांचा (Capital Structure)

वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी 500 लाख रूपये और 240.01 लाख रूपये तक स्थिर रही है।

लाभांश (Dividend)

वर्ष 2015–16 के लिए कम्पनी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रदत्त शेयरपूंजी पर @682.64% की दर से कम्पनी के सकल लाभ का 16.38 करोड़ रूपये की राशि संस्तुति की है। यह वार्षिक आम सभा बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिफारिशों अनुसार 30% पूर्व कर लाभ से अधिक लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी निरंतर 32 वर्षों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को लाभांश की घोषणा करती आ रही है तथा वर्ष 2015–16 तक संचयी लाभांश 56.81 करोड़ रूपये था।

सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन (Appropriation To General Reserve)

लाभांश और आयकर के लिए प्रावधान रखने के बाद निदेशक मण्डल ने लाभ एवं हानि खाते में लिखे शुद्ध लाभ में से 200 लाख रुपये (पिछले वर्ष 200 लाख रुपये) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की सिफारिश की है। सरप्लस के अलावा 31.03.2016 तक संचयी सामान्य आरक्षित निधि 171.82 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 136.93 करोड़ रूपये) हो गयी है।

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से धनराशि

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देनदारियों के विभिन्न मदों के तहत सुविचारित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

	मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से	31.03.2016 की स्थितिनुसार	31.03.2015 की स्थितिनुसार
क.	**वर्तमान परिसम्पत्तियां (Current Assets)**	रूपये करोड़ में	रूपये करोड़ में
	– नकद एवं नकद समकक्ष	1247.29	1012.50
	– अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	156.25	146.85
	– अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	277.12	20.01
		1680.66	**1179.36**
ख.	**वर्तमान देनदारियां (Current Liabilities)**		
	– अन्य वर्तमान देनदारियां	**1680.66**	**1179.36**

निष्पादित विशेषताएं (Performance Highlights)

कम्पनी अपने समस्त कार्यकलापों एवं गतिविधियों में निरन्तर प्रगति कर रही है। अपनी सेवाओं को बढ़ाने हेतु कम्पनी द्वारा विभिन्न कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। अपितु, कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये तकनीकी क्षेत्रों में उच्च डिग्री प्राप्त कुछेक विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान, कम्पनी को कुछेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए परामर्शी एवं परियोजना में प्रबंध सेवाएं प्रदान करने का काम तथा साथ ही डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयां एवं औषधि इत्यादि का भी काम मिला।

वर्ष 2015–16 के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उसके संस्थानों हेतु नये आदेश बुक (फीस) राशि 209.05 करोड़ा रूपये तथा राज्य सरकारों तथा उनके अन्य संस्थानों से 50.61 करोड़ रूपये तथा खुली निविदाओं से 9.45 करोड़ रूपये बुक किये गये थे।

एच एस सी सी इस समय जिन प्रमुख परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसकी सूची अनुबन्ध – I में दर्शायी गई है :–

समझौता – ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

कम्पनी पिछले एक दशक से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कम्पनी को अच्छे परिणामों के लिये वर्ष 2014–15 हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा " **अति–उत्तम** " आंका गया है तथा आशा है वर्ष 2015–16 में अच्छे परिणामों के आधार पर कम्पनी को " **सर्वश्रेष्ठ** " आंका जाये।

विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange)

(₹ करोड़ में)

	2015–16	2014–15
क. खर्चे (Expenditure)		
– यात्रा	0.10	0.06
– सी.आई.एफ. पूंजीगत माल पर आयात (ग्राहकों की ओर से)	27.40	9.13
ख. आय (Income)	–शून्य –	– शून्य –

मानव संसाधन (Human Resources)

किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 162 कर्मचारी नियमित वेतनमान थे तथा जिनमें से 66 कर्मचारी स्थाई–कार्यकाल तथा 50 कर्मचारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग का है। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। कम्पनी संगठन में अल्प–संख्यकों के रोजगार का स्तर बनाये रखने का हर संभव प्रयास करती है। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया (कुल 229 कार्य दिवस) आयोजित किये हैं इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उनकी दक्षता में और बढोतरी हेतु उनका विकास कर रही है।

कल्याण कार्यक्रम (Welfare Activities)

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिये अनेक सामाजिक कार्यक्रमों एवं हित–लाभों का आयोजन करती है।

राजभाषा का संवर्धन एवं कार्यान्वयन (Implementation And Promotion of Official Language)

एच एस सी सी में वर्ष 2015–16 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान संबंधी जानकारी हेतु प्रेरित किया जाता है। सभी मानक प्रपत्र, फाईल आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिन्दी में टिप्पण, प्रारूपण और पत्राचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हिन्दी में उत्साहवर्धक काम करने के उद्देश्य से कम्पनी में 13.09.2015 से 27.09.2015 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया है, जिसके दौरान हिन्दी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, कम्पनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा इकाई की सदस्य भी है, जिसके तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, संगोष्ठियों इत्यादि में प्रतिनिधित्व भी करती है।

कम्पनी के कर्मचारी ने दिनांक 24.10.2015 से 25.10.2015 के दौरान, राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन तथा कार्यशाला में भी भाग लिया है। सम्मेलन के दौरान, श्री श्रवण कुमार, हिन्दी सहायक एवं अनुवादक को " राजभाषा गौरव सम्मान " मिला है।

सतर्कता (Vigilance)

यह कम्पनी एक परामर्शदायी संगठन है, इसलिए कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। दिनांक 14.11.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये उप–महाप्रबंधक (विद्युत) श्री राजीव कुमार अग्रवाल, कम्पनी में अंशं–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, निजी विदेशी दौरे तथा मासिक रिपोर्ट को यथा समय संबंधित एजेंसी को भिजवा दिए जाते हैं। सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा एहतियात के रूप में निवारक उपायों को अपनाया जाता है एवं मांगी सूचना को समय पर उचित माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अपेक्षित सुधार एवं उन्नति हेतु उनकी समीक्षा जारी है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 26 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। सभी कर्मचारियों द्वारा शपथ दिलाई गई।

कर्मचारियों का ब्यौरा (Particulars of Employees)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा, कंपनी नियमावली, 1975 के साथ पठित, समय–समय पर संशोधन के रूप में, कम्पनी के कर्मचारियों में से कोई भी प्रतिवर्ष 102 लाख रूपये या 8.5 लाख रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक की प्राप्ति से अधिक नहीं था।

निगमित शासन (Corporate Governance)

आपकी कम्पनी में स्वस्थ निगमित शासन को बनाये रखने के लिए पारदर्शिता, अखण्डता, संव्यसायिकता तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (D P E) द्वारा विहित प्रपत्र में मार्गदर्शी सिद्धांतानुसार, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को दर्शाते हुए तिमाही रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भिजवा दिया जाता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (D P E) जारी निगमित प्रशासन हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसार, एक " कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट " तथा एक " प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट " क्रमशः अनुबंध – II और III में रखी गई है।

निदेशक मंडल (Board of Directors)

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात् कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक नामित / नियुक्त किये गये हैं :–

– शून्य –

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात् निम्नलिखित निदेशक कार्यालय छोड़ कर गये हैं :–

श्री देबीदास दत्ता अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से 01.01.2016
श्री अनील ए. मसंद अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से 01.01.2016
प्रो. सुशील अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	02.01.2013 से 01.01.2016

(ग) वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के समीक्षाधीन अवधि में कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक थे :–

श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच एस सी सी	26.07.2012 से आगे
श्री एस. के. जैन निदेशक (इंजीनियरिंग)	16.04.2013 से आगे
श्री के. सी. सामरिया संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	05.08.2014 से आगे
श्रीमती विजया श्रीवास्तव अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	19.02.2015 से आगे

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा आपके निदेशकों की रिपोर्ट निम्नलिखित दी गई है :–

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।
- कम्पनी में वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू मानक लेखों को अपनाया गया है। कम्पनी द्वारा अपनायी गयी लेखाकार नीतियों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की वास्तविक तथा स्पष्ट छवि एवं उस अवधि में कम्पनी के लाभ अथवा हानि को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए लेखा रिकार्डों का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वार्षिक लेखों को निरन्तरता आधार पर तैयार किया गया है।
- निदेशकों द्वारा लागू किये गये सभी विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित पद्धति तैयार की गई है तथा इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पर आवश्यक राशि के तहत 1.14 करोड़ रूपये (गत अवधि के 0.40 करोड़ रुपये सहित) (गत वर्ष के 0.40 करोड़ रुपये) अर्थात; वित्तीय वर्षों के गत तीन वर्षों का अनुमानित 2% अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 0.74 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.40 करोड़ रूपये) खर्च किये है।

कम्पनी ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) निधि खाते में 1.07 करोड़ रूपये सुरक्षित रखे हैं। संभावनाओं की तलाश जारी है जिसके तहत इस राशि को खर्च किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षक (Internal Auditors)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के समवर्ती एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को 2,85,000 /– रूपये जिसमें परिवहन सहित सेवा–कर लाभ है पर नियुक्त किया गया है। यह उनकी नियुक्ति का तीसरा वर्ष है।

लेखा परीक्षक (Auditors)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स एल. सी. कैलाश एण्ड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2015–16 वित्तीय वर्ष के लिए 4,50,000/– रूपये (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) प्रदत्त पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसमें लागू सर्विस चार्ज भी शामिल है। यह उनकी नियुक्ति का पहला वर्ष है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के अनुबंध – IV में दिए गए हैं।

सी ए जी (CAG) की रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के अनुबंध – V में दी गई हैं।

सांविधिक लेखाकार की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी सचिव मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एंड कंपनी की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट के अनुबंध–VI में संलग्न है।

अभिस्वीकृति (Acknowledgment)

कम्पनी के निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष एवं आडिट बोर्ड के सदस्य, सांविधिक लेखाकारों, आंतरिक लेखाकारों तथा कम्पनी के बैंकरों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

कम्पनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों साथ ही साथ व्यक्तिक का आभार व्यक्त करते है जिनका उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों के सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

निदेशक मण्डल के लिए
और उनकी ओर से

(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2016

अनुबन्ध – I

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण

क. वास्तुविद संबंधी योजना, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी तथा परियोजना प्रबंधन

- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का पुनर्विकास
- एम्स, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण
- राम मनोहर लोहिया अपस्तालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पतालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली का पुनर्विकास
- एम्स (AIIMS), रायपुर
- एम्स (AIIMS), ऋषिकेश
- एम्स (AIIMS), रायबरेली
- एम्स (AIIMS), भुवनेश्वर
- एम्स (AIIMS), गुंटूर
- एम्स (AIIMS), कल्याणी,
- एम्स (AIIMS), नागपुर
- सरिता विहार, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण
- राजकुमारी अमृत कौर, नई दिल्ली नर्सिंग कॉलेज उन्नयन
- ट्रामा सेंटर का विस्तार, एम्स (AIIMS), नई दिल्ली
- कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल

कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल

- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) का सेटेलाईट सेंटर, संगरूर (ओ.पी.डी. तथा मुख्य कार्य)
- भटिंडा, पंजाब में कैंसर अस्पताल का विकास
- भारतीय समवेत औशध संस्थान (IIIM), जम्मू
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल तथा हिमाचल प्रदेश
- एस.एस.बी., निम्हांस (NIMHANS), बैंगलूरू
- मातृ एवं शिशु – बैंगलोर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन हेतु मैट्रो ब्लॉक
- राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान, हैदराबाद
- पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पूणे हेतु वैक्सीन प्रसंस्करण सुविधाएं
- आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेस– I – 400 बिस्तर)
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) – एस.एस.बी., कोलकाता
- नार्थ इस्टर्न इंस्टीस्टयूट ऑफ आर्युवेद एण्ड होम्योपैथी (NEIAH), शिलॉंग, मेघालय

आपात–कालीन ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

- नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल
- नाहन, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल
- हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल
- चम्बा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल
- क्षेत्रीय पेरामेडिक एवं नर्सिंग साईंसेज संस्थान (RIPANS), आईजोल
- एल. जी. बी. आर. आई. एम. एच. (LGBRIMH) तेजपुर का उन्नयन
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIMS), इम्फाल का पुनर्विकास

एस.एस.बी. ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) फेस – III के तहत उन्नयन परियोजनाएं
  - रीवा
  - बरहामपुर
  - उदयपुर
  - ग्वालियर
  - पटियाला
  - बीकानेर
  - जबलपुर
  - बुरला
  - औरंगाबाद
  - विजयवाड़ा
  - डिब्रुगढ़
  - झांसी
  - कोटा
  - गुवाहाटी
  - शिमला
  - इलाहाबाद
  - लातूर
  - पणजी (गोवा)
  - दार्जिलिंग
- मिजोरम चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, फालकॉन, मिजोरम
- पाली, राजस्थान में 100 मेडिकल कॉलेज

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं (Procurement Management Services)

- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अति–विशिष्ट तथा आपातकालीन ब्लॉक हेतु चिकित्सा उपकरण
- कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल, हरियाणा हेतु चिकित्सा उपकरण
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda – AIIA), सरिता विहार हेतु उपकरणों का प्रापण
- निग्रिहम्स (NEIGRIHMS), शिलौंग हेतु चिकित्सा उपकरण
- विदेश मंत्रालय (MEA), बीर अस्पताल, काठमांडू हेतु चिकित्सा उपकरण
- यंगून एवं सिटवे म्यांमार हेतु चिकित्सा उपकरण

अनुबन्ध - II

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

कारपोरेट शासन रिपोर्ट

कम्पनी सिद्धांत

एक अच्छी कारपोरेट शासन नीति किसी भी कम्पनी के बेहतर परिणामों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शेयरधारकों के मूल्यों व मैनेजमैंट में पारदर्शिता, आचार नीति, जवाबदेही तथा साफ–सुथरे परिणामों को दर्शाने व उनका ध्यान रखते हैं। मैनेमेंट का यह दायित्व होता है कि वह विनिर्दिष्ट मामलों में जहां तक संभव हो विस्तृत तरीके से तथ्यों को उपलब्ध करवाये।

क. अन्य कम्पनियों में बोर्ड के निदेशकों की श्रेणी सहित बोर्ड के निदेशकों का गठन

दिनांक 31.03.2016 से कम्पनी के बोर्ड निदेशकों में दो पूर्ण–कालिक, दो अंश–कालिक शासकीय निदेशक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

निदेशक	पूर्ण–कालिक / अंश–कालिक	अन्य पी.एस.यू. में बोर्ड के सदस्य
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	पूर्ण–कालिक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	– शून्य –
श्री एस. के. जैन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	– शून्य –
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– एच एल एल लाइफकेयर लि. – एच एल एल बायोटैक लि.
श्री के. सी. सामरिया	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– शून्य –

ख. कार्यकाल (Tenure)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की आयु 60 निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से और उनकी अधिवर्षिता (Superannuation) की तिथि तक 5 वर्षों की होगी, या भारत सरकार की ओर से अगले आदेशों तक, और जो भी घटनाक्रम से पहले आदेश प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नामित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा अगले आदेश तक मंत्रालय के अधिकारी जो बॉण्ड पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हैं।
अंश–कालिक, अ–शासकीय निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की ओर से तीन वर्ष की अवधि तक की होगी।

ग. बोर्ड बैठकें (Board Meetings)

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के बीच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की (138वीं से 143वीं) 6 बैठकें की गई, जिसमें एक बैठक प्रत्येक त्रैमासिक में दिनांक 30.06.2015, 27.08.2015, 28.09.2015, 29.10.2015, 31.12.2015 और 29.03.2016 को आयोजित की गई।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meetings and Attendance)

निदेशक	कार्यकाल के दौरान कितनी सभा बैठकें आयोजित की गई	उपस्थिति	पिछली वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	6	6	हां
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	6	5	हां
श्री के. सी. सामरिया	6	6	हां
श्री एस. के. जैन	6	6	हां
श्री देवीदास दत्ता	5	5	नहीं
श्री अनील ए. मसंद	5	5	नहीं
प्रो. सुशील	5	4	नहीं

घ. सामान्य निकाय बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठक (Annual General Meeting)

गत 3 (तीन) वार्षिक सामान्य बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई हैं :–

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2014–15	02.11.2015	दोपहर 12:30 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, " ए " विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2013–14	19.09.2014	दोपहर 12:30 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, " ए " विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2012–13	31.07.2013	प्रातः 11:00 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, " ए " विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

च. निदेशकों की शेयर–होल्डींग का प्रतिरूप

कुल 2,40,01,800 इक्विटी शेयर पूंजी में से (100 प्रति शेयर के 240018 इक्विटी शेयर) शेयरों का आधिपत्य है।

निदेशकों के नाम	एच एस सी सी के शेयरों की संख्या
श्री ज्ञानेश पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6
श्री के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	शून्य
श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	6
श्री देवीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	शून्य
श्री अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	शून्य
प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	शून्य

इसके अतिरिक्त, इन शेयरों का आधिपत्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से है।

छ. शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

यह कम्पनी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है तथा (जिसके शेयर पंजीकृत नहीं हैं), इसके शेयर महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के पूर्णतया स्वामित्व में है, इसलिए कम्पनी ने कोई शेयरधारक शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की है।

ज. ऑडिट समिति (Audit Committee)

ऑडिट समिति (Audit Committee) की संरचना निम्नवत दी गई है :–

सी.ए. श्री अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	अध्यक्ष
श्री देवीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	सदस्य
प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. रविन्द्र कुमार पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	–	समिति का सदस्य

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान ऑडिट समिति (Audit Committee) की (8वीं से 10वीं) तीन बैठक एच एस सी सी कॉरपोरेट कार्यालय, नौएडा में दिनांक 30.06.2015, 28.08.2015 तथा 30.12.2015 को आयोजित की गई है।

दिनांक 01.01.2016 को सी.ए. श्री अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (अध्यक्ष), श्री देवीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (सदस्य) तथा प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (सदस्य) का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

दिनांक 29.03.2016 को आयोजित बोर्ड की 143वीं बैठक में नई आडिट समिति का गठन हुआ है। नई आडिट समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित दिये गये हैं :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव – अध्यक्ष
   {अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय}
2. श्री के. सी. सामरिया – सदस्य
   { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
3. श्री एस. के. जैन, {निदेशक (इंजीनियरिंग) } – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
सी.ए. अनील ए. मसंद	3	3
श्री देबीदास दत्ता	3	3
प्रो. सुशील	3	3
सी.ए. ए. के. अग्रवाल	3	2

झ. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति
(Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee)

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक – अध्यक्ष
सी.ए. अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक – सदस्य
श्री देबीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक – सदस्य
सी.ए. ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक – सदस्य
सी.ए. रविन्द्र कुमार पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव – समिति का सदस्य

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (Corporate Social Responsibility Committee) की एक बैठक कॉरपोरेट कार्यालय, एच एस सी सी, ई–6(ए), नौएडा में दिनांक 28.10.2015 को आयोजित की गई है।

दिनांक 01.01.2016 को प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (अध्यक्ष), सी.ए. श्री अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (सदस्य) तथा श्री देबीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (सदस्य) का कार्यकाल समाप्त हो गया है। दिनांक 29.03.2016 को आयोजित बोर्ड की 143वीं बैठक में नई आडिट समिति का गठन हुआ है। नई आडिट समिति के सदस्य हैं :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव – अध्यक्ष
   {अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
2. श्री के. सी. सामरिया – सदस्य
   { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
3. श्री एस. के. जैन, {निदेशक (इंजीनियरिंग) } – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई परिश्रमिक समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
प्रो. सुशील	1	1
सी.ए. अनील ए. मसंद	1	1
श्री देबीदास दत्ता	1	1
सी.ए ए. के. अग्रवाल	1	1

ट. पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee)

पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

श्री देबीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	अध्यक्ष
प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. ए. के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. रविन्द्र कुमार पाठक,उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	–	समिति का सदस्य

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान, पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की एक बैठक कॉरपोरेट कार्यालय, एच एस सी सी, ई–6(ए), सैक्टर–1, नौएडा में दिनांक 28.10.2015 को आयोजित की गई है।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई परिश्रमिक समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री देबीदास दत्ता	1	1
सी.ए. अनील ए. मसंद	1	1
प्रो. सुशील	1	1
सी.ए ए. के. अग्रवाल	1	1

दिनांक 01.01.2016 को श्री देबीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (अध्यक्ष), प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (सदस्य) तथा सी.ए. श्री अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक (सदस्य) का कार्यकाल समाप्त हो गया है। दिनांक 29.03.2016 को आयोजित बोर्ड की 143वीं बैठक में नई पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) का गठन हुआ है। पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव – अध्यक्ष
   (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
2. श्री के. सी. सामरिया – सदस्य
   (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

ठ. स्वतन्त्र निदेशक समिति बैठक (Independent Directors Committee Meeting)

स्वतन्त्र निदेशक समिति की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

श्री देबीदास दत्ता, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	अध्यक्ष
प्रो. सुशील, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. अनील ए. मसंद, अंश–कालिक अ–शासकीय निदेशक	–	सदस्य
सी.ए. रविन्द्र कुमार पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	–	समिति का सदस्य

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान, स्वतन्त्र निदेशक समिति (Independent Directors Committee) की एक बैठक कॉरपोरेट कार्यालय, एच एस सी सी, ई–6(ए), सैक्टर–1, नौएडा में दिनांक 30.06.2015 को आयोजित की गई है।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों की संख्या तथा कार्य अवधि	उपस्थिति
प्रो. देबीदास दत्ता	1	1
सी.ए. अनील ए. मसंद	1	1
प्रो. सुशील	1	1

ङ निदेशकों का पारिश्रमिक (Remuneration of Directors)

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियुक्त कम्पनी के कार्यवाहक निदेशकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित की नियुक्ति के समय सरकार द्वारा जारी निबंधनों और शर्तों में उल्लिखित वेतनों को पहले ही सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, उसी के अनुसार औद्योगिक वेतन मंहगाई भत्ता (आई डी ए) दिया जाता है। कम्पनी नियमों के तहत भत्ते एवं अनुलब्धियां दी जाती हैं।

कम्पनी के अंश–कालिक निदेशकों को उनके बोर्ड निदेशक खाते से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता लेकिन शासकीय कार्यकारी होने के लिए सरकार से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

अंश–कालिक अशासकीय निदेशक कम्पनी से कोई बैठक भत्ता भी नहीं लेते हैं, अप्रैल, 2015 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किये गये पारिश्रमिक अनुसार कम्पनी के अंश–कालिक अशासकीय निदेशकों को कम्पनी की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हेतु 5,000/– रूपये बैठक फीस दी जाती रही है।

वर्ष के दौरान अ–शासकीय अंश–कालिक निदेशकों को उपस्थिति शुल्क हेतु निम्नलिखित भुगतान किया गया है :–

1. श्री अनील ए. मसंद — 60,000/- रूपये
2. श्री देबीदास दत्ता — 60,000/- रूपये
3. प्रो. सुशील — 50,000/- रूपये

च. प्रकटीकरण (Disclosures)

पूरी अवधि के दौरान, कम्पनी की पार्टियों के साथ लेन–देन एवं व्यापार के संदर्भ में कोई विरोधाभाष नहीं जो कम्पनी के निदेशकों तथा प्रबंधन को प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, एच एस सी सी संस्था की अन्य कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

अनुबन्ध - III

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

प्रबंधन परिचर्चा एवं समीक्षा की रिपोर्ट

उद्योग की संरचना एवं विकास (industry Structure & Developments)

एच एस सी सी (HSCC) की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में मार्च, 1983 में की गई थी जिसका प्रशासनिक नियत्रंण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 240 लाख रूपये एवं निवल लाभ 17422 लाख रूपये है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत से किया है। सितम्बर, 1999 में एच एस सी सी को " मिनी रत्न " कम्पनी घोषित किया गया है।

एच एस सी सी (HSCC) कम्पनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सगंठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं अनुवीक्षण सहित, चिकित्सा उपकरणों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एच एस सी सी ने परियोजनाओं के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एच एस सी सी ने प्रमुख हैल्थ–केयर परियोजनाएं जिसमें विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एच एस सी सी वर्षों से हैल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी है।

शक्ति (Strenght):

- अस्तित्व में आने से अब तक डेबिट मुक्त एवं लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनी
- भारत सरकार का समर्थन और सहायता
- एक ही छत के नीचे परामर्शदायी सेवाओं के विभिन्न आयाम
- बहुपार्श्व धन एवं अतर्राष्ट्रीय अन्य एजेंसियो के साथ व्यापक अनुभव
- मजबूत क्षमता के साथ जटिल एवं बड़ी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव
- परियोजनाओं की गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन प्रदर्शन
- योग्य एवं समर्पित तथा अद्भुत कार्य–शक्ति

कमजोरी (Weakness):

- एकमात्र कारोबार – परामर्श
- निजी कामगारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है
- शाखा संघर्षण असमर्थता
- ज्यादातर कारोबार / व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के साथ होता है
- व्यापार के समर्थन का आश्वासन राजस्व मॉडल एक बार की बजाय परियोजनाओं के लगातार राजस्व संबंधी आवर्ती सेवाओं पर आधारित है
- विशेष विक्रेताओं / एजेंसियों की सीमित संख्या

अवसर (Opportunities):

- देश अस्पतालों, बिस्तरों, डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या के मामले में पिछड़ रहा है
- वर्तमान अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन
- सार्क देशों में व्यापार का विस्तार
- भवन निर्माण में इंजीनियरिंग एवं रख–रखाव सेवाओं में विविधीकरण संबंधी अन्य सेवाएं
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में) आधारभूत ढ़ांचे के मांग में बढ़ोतरी करना
- अस्पतालों के लिये अवसर प्रदान करना और सरकारी अस्पताल गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग करना
- आधारभूत वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन का आधारभूत कार्य तथा प्रापण गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कौशल विकसित करना

जोखिम (Threats) :

- व्यापारिक परियोजनाओं को उत्तर–पूर्व की ओर स्थानान्तरित करने / उनके पूरा होने, दीर्घ–कालीन धन की अनुपलब्धता के कारण कारोबार का लम्बे समय के लिये प्रसार ना हो पाना
- तेजी से निजी क्षेत्र में बढ़ते परिचालन के परिदृश्य में अनुभवी कर्मियों की उदासीनता
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH & FW) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / उपक्रमों (PSUs) से ली जाने वाली सहायता नीति में बदलाव करके परामर्शी सेवाओं के लिये वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र से आमंत्रित समर्थन
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगियों की एक बड़ी संख्या के साथ खंडित बाजार
- बुनियादी ढ़ांचे में तेजी से आये उछाल के कारण बडी संख्या में अनुभव–प्राप्त कामगारों की वजह से मूलभूत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कौशल द्वारा वस्तु–विकरण (Commoditisation) बढ़ाना
- नियंत्रण से परे कारणों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को रोकना पड़ा
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (PSUs) / फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यापार परियोजनाओं और गैर संबंधित विविधीकरण के लिये उनके द्वारा नामांकन के लिये नुकसान का कारण बनता है
- प्रापण परियोजनाओं के लिये शुल्क की कमी और बड़े सूक्ष्म छोटे कार्य में व्यापार के प्रस्ताव में अग्रणी हानि समनुदेशनों की कमी है

दृष्टिकोण (Outlook)

एच एस सी सी (H S C C) एक बहु–आयामी अनुशासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कम्पनी है। यह कम्पनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कम्पनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों में शामिल हैं :–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकार तथा उनके अस्पताल / संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSUs) / अन्य संस्थान

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

जोखिम एवं चिंताएं (Risks & Concerns)

कम्पनी के प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं में संबंधित मंत्रालय द्वारा न्यूनीकृत प्रापण समनुदेशन कार्य तथा वर्तमान परिदृश्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम / परामर्श शुल्क में कमी के कारण रही है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल (I T Related Initiatives)

- इंटरनेट कनेक्शन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (L A N – Local Area Network) के माध्यम से जुड़े हुये हैं।
- ई–निविदा गतिविधि

वित्तीय प्रदर्शन पर परिचालन प्रदर्शन हेतु सम्मान के साथ चर्चा

कम्पनी की कुल आमदनी अन्य आय 1106.98 करोड़ रूपये सहित 85.18 करोड़ रूपये पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में क्रमश 575.77 करोड़ रूपये तथा 85.72 करोड़ रूपये थी। वर्ष के दौरान कम्पनी का कर पश्चात लाभ (Profit Before Tax) 86.87 करोड़ रूपये गत वर्ष की तुलना में 37.95 करोड़ रूपये था।

गत वर्ष की तुलना में प्रचालन (ऑपरेशन) की लागत 38.49% की वृद्धि हुई है। खर्च में वृद्धि संदिग्ध ऋण के लिये वृद्धि की कर्मचारी लागत और प्रावधान की वजह से है।

खण्ड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

(क) व्यावसायिक खण्ड (Business Segments)

लेखा मानक (Accounting Standard) – AS – 17 में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार, " सेगमेंट रिपोर्टिंग " कम्पनी के व्यावसायिक क्षेत्रों के निर्माण और इसमें शामिल गतिविधियों, उपकरण दवा आदि का परामर्श की आपूर्ति के आधार पर, " खण्ड रिपोर्टिंग " अपने सभी ऑपरेशन लेखा–मानक – 17 के रूप में एक खण्ड के अन्तर्गत आता है।

(ख) भौगोलिक खण्ड (Geographical Segments)

चूंकि कम्पनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से देश के भीतर रह कर उत्पाद / सेवाओं और उनकी प्रकृति को ध्यान में रख कर की जा रहीं हैं, अतः परिचालन जोखिम और रिटर्न यही कर रही हैं और इस तरह के रूप में यहां केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता (Internal Control System And Their Adequacy)

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आतंरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। कार्यात्मकता की क्षमता, कानून और नियमों के साथ निर्धारित अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाओं का परिपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा कार्य पर बल, पारदर्शिता स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी आंतरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये प्रबंधन / मैनेजमेंट (Management) को प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन विकास (HRM)

एच एस सी सी एक ज्ञान आधारित कम्पनी है, जिसकी असली ताकत उसकी जनशक्ति में निहित है। किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 162 कर्मचारी नियमित (Regular) वेतनमान पर थे तथा जिनमें से 66 कर्मचारी स्थाई तथा निश्चित–अवधि (Fixed Tenure) के हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा तथा कम्पनी की कार्य–प्रगति के लिये कम्पनी में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गए, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उनकी दक्षता में और बढोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिये विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

आचार संहिता (Code of Conduct)

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग में तिमाही रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

लोक उद्यम विभाग (D P E) द्वारा निर्धारित प्रारूपानुसार तिमाही रिपोर्टों को निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धातों के तहत, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति दर्शाते हुए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भिजवा दिया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थिरता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची – VII के तहत, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, मैसर्स एल्मिको द्वारा संचालित 10 कोलीयर लगाने के लिये 60.00 लाख रूपये (साठ लाख रूपये), केन्द्र सरकार द्वारा गठित गंगा की सफाई एवं उसके उत्थान के लिये स्वच्छ भारत कोश के तहत " गंगा सफाई कोश " में 49.24 लाख रूपये (उन्नचास लाख चौबीस हजार रूपये) तथा रामकृष्ण मठ (योगोध्यान), कांकुरगाची, कोलकता में चेरीटेबल डिस्पैंसरी बिल्डिंग निर्माण के लिये 5.00 लाख रूपये (पांच लाख रूपये) का अंशदान किया है।

अनुबन्ध - IV

(निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

राय (Opinion)

(क) (i) **टिप्पणी संख्या – 20 (I) (जी)** : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C R I, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय अथवा एवं इनसे संबंधित विषयों पर वर्ष के दौरान कोई विकास नहीं किया गया तथा देयता राशि को अभीनिश्चत नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (I) (एच), जोकि स्वत : स्पष्ट है।

(ii) **टिप्पणी संख्या – 20 (I) (एच)** : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये करने के बारे में, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं से जमा किये जाने से बाहर हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित निपटारों को देखते हुये लेखा–खातों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (I) (एच), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iii) **टिप्पणी संख्या – 20 (VI)** : व्यापार देय, लीज जमा, विविध देनदार, विभिन्न मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से कम्पनी और विभिन्न अन्य शेष द्वारा दी गयी ई.एम.डी. और सुरक्षा जमा, सुलह और पुष्टि के अधीन हैं।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (VI) (जे), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, लाभांश खाते से वर्ष 2013–14 के लिये लाभांश वारंट (लाभांश चैक) के नकदीकरण के लिये कम्पनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक में एक एफ.डी.आर. खाता खोला उसमें 4,92,03,690 रूपये जमा कर दिये हैं। इस एफ.डी.आर. पर, कम्पनी को 1,41,169 रूपये की ब्याज राशि मिली है, जो एफ.डी.आर. की तिथि से बीच की अवधि के दौरान बैंक ने जो लाभांश दिया वो भुगतान नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखकर किया गया है।

प्रत्युत्तर: यह मामला वित्तीय वर्ष 2013–14 का है, जिनका पहले ही ऑडिट कर लिया गया है तथा इन पर कोई आपत्ति नहीं है, अतः इन पर आडिटर्स ने कोई टीका–टिप्पणी नहीं की है, इन संदर्भ में कम्पनी सचिव प्राधिकृत लेखा–परीक्षक द्वारा लाभांश के भुगतान नियमों के तहत अनुपालन–पत्र प्राप्त किया है। (प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है)

(v) **टिप्पणी संख्या – 20 (VIII)** : पुराने क्रेडिट शेष बकाया बिना भुगतान के / अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 1387.81 लाख रूपये (गत वर्ष 939.55 लाख रूपये) ग्राहकों के 4 वर्ष से अधिक के जमा खातों में पड़े हैं।

प्रत्युत्तर: प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (VIII), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(vi) ग्राहकों के किये गये कार्यों के संदर्भ में पड़ी लावारिस्त शेष राशि, उनके दायित्व एवं परिणाम के संदर्भ में देय राशि के साथ समायोजित नहीं है, यदि कोई हो, तो ज्ञात नहीं है।

ऊपर योग्यता के प्रभाव, अनिश्चितताओं को देखते हुये, लाभ में सम्पत्ति और कम्पनी की वर्तमान देनदारियों की मात्रात्मक नहीं है।

प्रत्युत्तर: अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। (समझौते की शर्तों एवं नियम अनुसार निपटाया जाना)

(ख) (i) अभी 132 परियोजनाएं मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा वित्तीय परियोजनाएं चल रही है। इन्हें वित्तीय सम्पत्तियों और देनदारियों के रूप में कम्पनी की पुस्तक में शामिल किया गया है और " मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से " अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रख गये बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार पर एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है तथा वर्ष की समाप्ति तक संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये जमा आकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

प्रत्युत्तर: अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

(ii) उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कोई वित्तीय राशि नही रखी गई है, अपितु कम्पनी अपने पुराने ग्राहकों को अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। इन ग्राहक खातों की ग्राहकों द्वारा जमा–राशि तथा खर्चों का विवरण और उसकी जानकारी उपलब्ध ना होने के अभाव में, इस तरह की ब्याज राशि को कम्पनी की आय (राशि निर्धारित नहीं) के रूप में ले ली जाती है, जो 1038.38 लाख रूपये (गत वर्ष 1098.32 लाख रूपये) एवं उपरोक्त पैरा (a)(iii) के आधार पर टिप्पणी संख्या 20 (XXIV) के रूप में दर्ज की गई है।

कमियों के प्रभाव को अगर किसी भी बैंक खातों में मौजूदा, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्रोत मंत्रालय / ग्राहक खातों और कम्पनी की वित्तीय स्थिति में ब्याज और कर कटौती स्रोत पर, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के अभाव के रूप में अनुबंध "1" पैरा (iv)(c) इस रिपोर्ट में विनिश्चित रहित है।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है / प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (XXIV), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

मामले का महत्व (Emphasis of Matter)

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :–

(क) टिप्पणी संख्या – XXIII सभी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सिविल परियोजनाओं और व्यय का लेखा उस पर किए गये खर्च के लिये ऑपरेटिंग राजस्व की मान्यता के लिये लेखांकन नीति में परिवर्तन रूप में दर्ज कर लिया जाता है।

प्रत्युत्तर: प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(XXIII), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(ख) टिप्पणी संख्या – XXIV व्यय के रूप में ग्राहकों के लिये ब्याज भुगतान को लेखा निदेशक मंडल के अनुमोदन के रूप में ग्राहकों (कॉरपस खाते) से प्राप्त जमाओं से बाहर कर दिया एफ.डी.आर. पर ब्याज व्याना राशि को लेखांकन के बारे में वित्तीय मान्यता दी जाती है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(XXIV), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(ग) कम्पनी ने एल.टी.सी. (LTC) प्रतिपूर्ति की दिशा में वर्ष के दौरान, 3.13 लाख रूपये का भुगतान किया है। हालांकि, दिनांक 31.03.2016 तक कम्पनी ने वित्तीय मूल्यांकन के रूप में प्राप्त नहीं की है।

प्रत्युत्तर: इस मामले में आगे अध्ययन जारी है।

(ड) वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण { ऑडिटर रिपोर्ट का बिन्दू संख्या (बी)(i) } कमजोर है और जिसे मजबूत करने की जरूरत है।

प्रत्युत्तर : आगे प्रणाली को सुदृढ़ के लिये उल्लेख किया गया है।

अनुलग्नक 1 का पैरा VI

(क) ग्राहकों की ओर से कम्पनी की संबंधित परियोजनाओं के ठेकेदारों द्वारा पूरे किये गये कार्यों के लिये आर.ए . (R.A.) बिलों के जमा करने में हुई देरी के लिये मान्य है। कुछ मामलों में इस तरह की देरी एक वर्ष से अधिक की होती है।

प्रत्युत्तर : परियोजनाओं से संबंधित ठेकेदारों को उनके अनुबंध की शर्तों के अनुसार उन्हें आर. ए. (R.A.) बिल और अन्तिम बिल जमा करने और आगे देरी से बचने के लिये समय–समय पर निर्देश दिए गये हैं।

(ख) व्यापार जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा प्रक्रियाओं को कम्पनी की नीतियों के साथ जोखिम, परिचालन नियंत्रण और अनुपालन के आत्म मूल्यांकन के लिये सेट–अप नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु दर्ज किया गया

(ग) कम्पनी आवधिक जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) और ब्याज जमा खातों की परिपक्वता की तिथि तय विश्लेषण करने में हालांकि एक वास्तविक समय प्रणाली के लेखांकन की प्रणाली हो रही है, बैंकों द्वारा जमा ब्याज के सत्यापन को और मजबूत करने की जरूरत है।

प्रत्युत्तर : अनुपालन हेतु दर्ज किया गया

कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना के आधार पर हम यह स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि यहाँ बिक्री कर या वैल्थ–टैक्स या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य–वर्धित कर या जो भी उचित हो, प्राधिकरण की ओर से उपकर बनता है, कम्पनी के अधिकारियों पर ऐसी कोई राशि / कर बकाया नहीं है। हालांकि, आयकर जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वो इस प्रकार है :–

देय का नाम	देय का नाम	राशि लाख में	संबंधित अवधि	किस फोरम के तहत लंबित है
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स	5.29 प्लस दण्ड और ब्याज के बराबर राशि	अक्टूबर 2009 – सितम्बर 2010	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स (सेनवैट क्रेडिट)	10.05 प्लस ब्याज	अप्रैल 2010– मार्च 2012	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम	आयकर	1452.00 लाख	वित्तीय वर्ष – 2012–13	सी.आई.टी. (अपील)

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(ई), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

अनुबन्ध - V

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-office Member, Audit Board-IV, New Delhi

गोपनीय

संख्या : 422-PDCA/MAB-IV/HS/A/csHSCC/16-17/307
दिनांक : 18.11.2016

सेवामें,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा (उत्तर प्रदेश) – 201301

विषय :– एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इसके साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर की गई शून्य टिप्पणियाँ संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की पावती देने का कष्ट करें।

आपका शुभचिन्तक,

हस्ता./–
(डा. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष / Tel. : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416
ई–मेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2016 को **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** के समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार बनाये गये हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों द्वारा धारा 143 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से निर्मित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार है तथा धारा 143(10) के तहत इन पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुमानित आडिटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **दिनांक 19.09.2016** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत, **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** की दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से बहाल की गई है तथा जो मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कम्पनी के कर्मियों और लेखा–अभिलेखों में से कुछ एक चयनात्मक परीक्षा की जांच के लिए सीमित है। अनुपूरक लेखा–परीक्षा (ऑडिट) के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नजर नहीं आया है जिस पर अधिनियम धारा धारा 143 (6) (बी) पर कोई टिप्पणी की जाये या जिसे सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाये :

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

लाभ एवं हानि का विवरण
अन्य आय : रू. 85,17,64,163/- (टिप्पणी संख्या – 17)
जमा राशि पर ब्याज (सरकारी फण्ड) रू. 72,94,66,001/-

ग्राहक एम्स और एच एस सी सी कम्पनी के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार शर्त और नियमों के खण्ड 3.1 सी (ए) के तहत " ग्राहक आगे सम्मानित मूल्य के 10% का ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में एच एस सी सी के साथ एक परिक्रामी निधि करेगा। "

(क) हालांकि, कम्पनी उपरोक्त खण्ड का अनुपालन करने के लिये बाध्य नहीं है :–

(i) वर्ष 2014–15 में, अर्जित ब्याज आय के रूप में ग्राहक (एम्स) से प्राप्त 0.84 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त बुक गई थी, जोकि ग्राहक को वापिस होगी। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में ओवर–बुक ब्याज के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। यह परिणाम प्रावधानों के अन्तर–विवरण और अपर–विवरण के दौहरे नियमों की वजह से 0.84 करोड़ के कारण हुआ है।

(ii) वर्ष 2015–16 में " अन्य आय" के रूप में दर्ज, ग्राहक एम्स से फण्ड के रूप में प्राप्त किये गये 0.76 करोड़ रूपये में ब्याज आय शामिल है। यह अन्य आय के अन्तर–विवरण तथा 0.76 करोड़ रूपये के लाभ तथा अपर–विवरण में आये मुनाफों से एक ही राशि से वर्तमान देनदारियों के कारण संभव हुआ है।

(ख) कम्पनी के ग्राहक एम्स के खाते में 6.88 करोड़ रूपये के ब्याज का 90 प्रतिशत है जो गलत तरीके से वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 20(IV) का ही शेष भाग है।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

तुलन पत्र वर्तमान सम्पत्तियां – रु. 19,34,44,14,458/-
नकद एवं नकद समतुल्य – रु. 12,47,29,37,549/-(टिप्पणी संख्या 14)

उपरोक्त अर्जित ब्याज में 0.32 करोड़ रूपये शामिल हैं किन्तु ये स्थायी जमा राशियों से नहीं आया है लेकिन इसे वर्तमान सम्पत्तियों के तहत दर्शाया गया है। अतः इस आमदनी में 0.32 करोड़ रूपये की राशि अन्तर–विवरण के तहत " नकद और नकद समतुल्य " तथा अपर–विवरण के तहत " अन्य वर्तमान सम्पत्तियों " के परिणामों के कारण हुई है।

ग. **प्रकटीकरण पर टिप्पणियां**

लेखा मानक टिप्पणी संख्या–29 के पैरा 66 के प्रावधानों के तहत, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्तियों के प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के लिये, इस उद्यम को इसका प्रकटीकरण करना चाहिए :–

(i) शुरू और अंत की अवधि में वहन की गई राशि

(ii) अतिरिक्त प्रावधान की अवधि में किए गए मौजूदा प्रावधानों के वृद्धि सहित

(iii) अवधि के दौरान प्रयोग की गयी राशि (अर्थात : किये गये और इस अवधि के दौरान प्रावधान के अध्याधीन चार्जड); तथा

(iv) अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित अप्रयुक्त राशियां

उपरोक्त प्रकटीकरण कम्पनी द्वारा नहीं बनाए गए हैं।

कृते, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(डा. आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

स्थान :– नई दिल्ली
दिनांक :– 18.11.2016

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के संदर्भ में कम्पनी के प्रबंधन की ओर से दिए गए उत्तर

पैरा सं.	अनंतिम टिप्पणियां	प्रबंधन की ओर से दिए गए उत्तर
क.	**लाभप्रदता पर टिप्पणियां** **लाभ एवं हानि का विवरण** **अन्य आय : रू. 85,17,64,163/- (टिप्पणी संख्या – 17)** **जमा राशि पर ब्याज (सरकारी फण्ड) रू. 72,94,66,001/-** ग्राहक एम्स और एच एस सी सी कम्पनी के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार शर्त और नियमों के खण्ड 3.1 सी (ए) के तहत " ग्राहक आगे सम्मानित मूल्य के 10% का ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में एच एस सी सी के साथ एक परिक्रामी निधि करेगा। " (क) हालांकि, कम्पनी उपरोक्त खण्ड का अनुपालन करने के लिये बाध्य नहीं है :–	
	(i) वर्ष 2014–15 में, अर्जित ब्याज आय के रूप में ग्राहक (एम्स) से प्राप्त 0.84 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त बुक गई थी, जोकि ग्राहक को वापिस होगी। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में ओवर–बुक ब्याज के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। यह परिणाम प्रावधानों के अन्तर–विवरण और अपर–विवरण के दौहरे नियमों की वजह से 0.84 करोड़ के कारण हुआ है।	एच एस सी सी के खातों में ब्याज को ग्राहक के साथ हुये अनुबंध के तहत बुक किया गया था।
	(ii) वर्ष 2015–16 में "अन्य आय" के रूप में दर्ज, ग्राहक एम्स से फण्ड के रूप में प्राप्त किये गये 0.76 करोड़ रूपये में ब्याज आय शामिल है। यह अन्य आय के अन्तर–विवरण तथा 0.76 करोड़ रूपये के लाभ तथा अपर–विवरण में आये मुनाफों से एक ही राशि से वर्तमान देनदारियों के कारण संभव हुआ है।	एच एस सी सी के खातों में ब्याज को ग्राहक के साथ हुये अनुबंध के तहत बुक किया गया था।
	(ख) कम्पनी के ग्राहक एम्स के खाते में 6.88 करोड़ रूपये के ब्याज का 90 प्रतिशत है जो गलत तरीके से वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 20(IV) का ही शेष भाग है।	कम्पनी ने 90 प्रतिशत ग्राहकों को 6.88 करोड़ रूपये ब्याज उन्हें अदा कर दिया है। अनजाने में नही पर टिप्पणी संख्या 20(IV) के तहत इसे नजरअंदाज नहीं किया गया था। हालांकि, इससे खातों पर कोई वित्तीय प्रभाव नही पड़ता है।
ख.	**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां** **तुलन पत्र वर्तमान सम्पत्तियां – रु. 19,34,44,14,458/-** **नकद एवं नकद समतुल्य–रु.12,47,29,37,549/-(टिप्पणी संख्या 14)** उपरोक्त अर्जित ब्याज में 0.32 करोड़ रूपये शामिल हैं किन्तु ये स्थायी जमा राशियों नहीं से नहीं आया है लेकिन इसे वर्तमान सम्पत्तियों के तहत दर्शाया गया है। अत:, इस आमदनी में 0.32 करोड़ रूपये की राशि अन्तर–विवरण के तहत " नकद और नकद समतुल्य " तथा अपर–विवरण के तहत " अन्य वर्तमान सम्पत्तियों " के परिणामों के कारण हुई है।	अनजाने में अर्जित ब्याज नकद और नकद समकक्ष राशि 0.32 करोड़ रूपये को जोड़ दिया गया था। हालांकि, इससे कम्पनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ग.	**प्रकटीकरण पर टिप्पणिया** लेखा मानक टिप्पणी संख्या–29 के पैरा 66 के प्रावधानों के तहत, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्तियों के प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के लिये, इस उद्यम को इसका प्रकटीकरण करना चाहिए :– (i) शुरूवात और अवधि के अन्त में वहन राशि (ii) अतिरिक्त प्रावधान की अवधि में किए गए मौजूदा प्रावधानों के वृद्धि सहित। (iii) अवधि के दौरान प्रयोग की गयी राशि (अर्थात : किये गये और इस अवधि के दौरान प्रावधान के अधीन आरोप); तथा (iv) अवधि के दौरान विपरित अप्रयुक्त राशियां	यह एक प्रकटीकरण है, जो भविष्य में अनुपालन हेतु दर्ज है। हालांकि, इससे कम्पनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुबन्ध - VI

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
सचिवालीय ऑडिट रिपोर्ट

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
सी आई एन : यू 74140 डी एल 1983 जी ओ आई 015459
प्राधिकृत पूंजी : 5,00,00,000/– रुपये
प्रदत्त पूंजी : 2,40,01,800/– रुपये

सेवा में,

सदस्यगण,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों एवं मेमोरेण्डम में यथालिखित उपबंधों और कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की यथापेक्षानुसार मैसर्स एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रजिस्टरों, अभिलेखों, बही एवं कागजातों की जांच कर ली है। हमारे विचार में और पूर्ण सूचना तथा की गयी जांच और कम्पनी व इसके अधिकारियों द्वारा हमें सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार हम उक्त वित्तीय वर्ष के मामले में निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :–

1. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने उपबंधों व उनके तहत बने नियमों के अनुसार निम्नलिखित रजिस्टरों को बनाया है व उनका रख–रखाव किया है तथा उनमें सभी प्रविष्टियां विधिवत की गयी हैं :–

क्रम संख्या	कम्पनी द्वारा रखे गए रजिस्टर	धारा के तहत	टिप्पणियाँ
1.	सदस्यों का रजिस्टर	88	अद्यतन
2.	रजिस्टर एवं रिटर्न	94	अद्यतन
3.	बैठकों का कार्यवृत्त	118	अद्यतन
4.	लेखा बही	128	अद्यतन
5.	अंतरण रजिस्टर	56	अद्यतन
6.	शेयर आवेदन राशि एवं शेयर आबंटन रजिस्टर	-	-
7.	ठेकों एवं निकायों और पार्टी इत्यादि से संबंधित ठेकों का विवरण रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रुचि है	189	लागू नहीं
8.	निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर	170	अद्यतन
9.	निदेशकों का उपस्थिति रजिस्टर	-	अद्यतन
10.	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	-	अद्यतन
11.	लाभांश रजिस्टर	-	अद्यतन

2. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों में निर्धारित प्राधिकरण कम्पनियों के रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित फार्म व रिटर्न जमा कराए हैं :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी द्वारा जमा किये गये फार्म / रिटर्न

क्रम संख्या	फार्म संख्या	प्राधिकरण	धारा जिसके तहत जमा कराया गया	टिप्पणियां	
1.	फार्म एम.जी.टी–7	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 2013 का 92	वार्षिक साधारण बैठक जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 02.11.2015 : 29.12.2015 : क्यू74087248
2.	फार्म ए.ओ.सी.–4	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 2013 का 137	वार्षिक साधारण बैठक जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 31.03.2015 : 29.12.2015 : क्यू 74085648

वर्ष 2015–16 के दौरान जमा किये गये फार्म डी.आई.आर. 12 का विवरण

1.	फार्म डी.आई.आर.–12*	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 2013 का 168	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 01.01.2016 : 27.01.2016 : सी 76782531
2.	फार्म प्रबंधन–14	कम्पनी रजिस्ट्रार	कम्पनी अधिनियम, 2013 का 179(3)	वित्तीय वर्ष जमा कराने की तारीख रसीद संख्या	: 24.09.2015 : :

- फार्म डी.आई.आर.12* द्वारा, दिनांक 01.01.2016 से श्री देवीदास दत्ता, श्री सुशील तथा श्री अनील अशोक मंसद, अंश–कालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति

3. भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2,40,01,800/– रुपये है और हमें दी गयी सूचना व विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2016 से उसके सदस्यों की संख्या दस है। शेयर धारकों का विवरण नीचे दिया गया है : –

क्र.सं.	शेयर धारकों का विवरण	शेयरों की क्रमांक संख्या	शेयरों की क्रमांक संख्या	शेयर प्रमाण पत्र सं.	लेजर फोलियो
1.	भारत के राष्ट्रपति	5994	1-5994	000003	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	10000	6001-16000	000010	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	24000	16001-40000	000011	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	17982	40004-57985	000015	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	30000	57986-87985	000016	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	72000	87986-159985	000017	2/I
	भारत के राष्ट्रपति	79988	160013-240000	000027	2/I
2.	श्री एस. के. जैन (निदेशक–इंजीनियरिंग)	1	40002	000013	24/III
	श्री एस. के. जैन (निदेशक–इंजीनियरिंग)	3	159986-159988	000018	24/III
	श्री एस. के. जैन (निदेशक–इंजीनियरिंग)	2	240017-240018	000036	24/III
3.	श्री अंशु प्रकाश (जे. एस.)	1	5995	000004	22/III
	श्री अंशु प्रकाश (जे. एस.)	3	159989-159991	000019	22/III
	श्री अंशु प्रकाश (जे. एस.)	2	240001-240002	000028	22/III
4.	डा.(प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस.	1	5996	000007	18/III
	डा.(प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस.	3	159992-159994	000020	18/III
	डा.(प्रो.) जगदीश प्रसाद, डी.जी.एच.एस.	2	240003-240004	000029	18/III
5.	श्री अरूण पाण्डा (जे. एस.)	1	5997	000006	15/III
	श्री अरूण पाण्डा (जे. एस.)	3	159995-159997	000021	15/III
	श्री अरूण पाण्डा (जे. एस.)	2	240005-240006	000030	15/III
6.	श्री गौतम गुहा,भू.अ.स.एवं वि.स. (स्था.एवं प.क.मं.)	1	5998	000009	13/III
	श्री गौतम गुहा,भू.अ.स.एवं वि.स. (स्था.एवं प.क.मं.)	3	159998-160000	000022	13/III
	श्री गौतम गुहा,भू.अ.स.एवं वि.स. (स्था.एवं प.क.मं.)	2	240007-240008	000031	13/III
7.	श्री सी. के. मिश्रा (ए. एस.)	1	5999	000005	23/III
	श्री सी. के. मिश्रा (ए. एस.)	3	160001-160003	000023	23/III
	श्री सी. के. मिश्रा (ए. एस.)	2	240009-240010	000032	23/III

8.	डा. राकेश कुमार (जे. एस.)	1	6000	000008	19/III
	डा. राकेश कुमार (जे. एस.)	3	160004-160006	000024	19/III
	डा. राकेश कुमार (जे. एस.)	2	240011-240012	000033	19/III
9.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ.एवं प्र.नि.-एचएससीसी)	1	40001	000012	21/III
	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ.एवं प्र.नि.-एचएससीसी)	3	160007-160009	000025	21/III
	श्री ज्ञानेश पाण्डेय (अ.एवं प्र.नि.-एचएससीसी)	2	240013-240014	000034	21/III
10.	श्री के. सी. सामरिया, (जे. एस.)	1	40003	000014	20/III
	श्री के. सी. सामरिया, (जे. एस.)	3	160010-160012	000026	20/III
	श्री के. सी. सामरिया, (जे. एस.)	2	240015-240016	000035	20/III

4. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार निदेशक मण्डल की विधिवत छः बैठकें आयोजित की गयी, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। उक्त बैठकों के संबंध में विधिवत सूचना दी गयी थी और कार्यवाहियों को उचित रूप में रिकार्ड व हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखे गए रजिस्टर में विधिवत रिकार्ड किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठकों की तारीख

बैठक संख्या	बैठक संख्या होने की तारीख	टिप्पणियाँ
138वीं	30.06.2015	मिनी कमेटी कमरा नम्बर 151–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
139वीं	27.08.2015	कमरा नम्बर 244–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
140वीं	28.09.2015	कमरा नम्बर 155–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
141वीं	29.10.2015	कमरा नम्बर 244–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
142वीं	31.12.2015	31.12.2015 कमरा नम्बर 244–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
143वीं	29.03.2016	29.03.2016 कमरा नम्बर 244–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

5. कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान इसके सदस्यों का रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था।

6. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के सदस्यों को उचित सूचना देकर 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक आम सभा बैठक 02.11.2015 को आयोजित की गयी और इस बैठक में पारित संकल्पों को कार्यवृत्त हेतु रखी गयी पुस्तक में विधिवत रिकार्ड किया गया।

7. भारत सरकार का एक उपक्रम होने के नाते कम्पनी के निदेशकों को दिए गए सभी ऋण एवं पेशगियां कम्पनी द्वारा उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार हैं।

8. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अंश प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी नहीं की है।

9. हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार :–

(i) वित्तीय वर्श के दौरान संबंधित मंत्रालय के आदेशानुसार कोई भी शेयर आबंटित / प्रसारण नहीं किया गया था।

(ii) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान नियत तिथि के भीतर, सभी लाभांश नियमों का पालन करते हुये लाभांश राशि का भुगतान करने की घोषणा की है :–

इस कम्पनी ने भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते लाभांश भुगतान हेतु बैंक में अलग से 27.09.2001 से खाता रखा है और कम्पनी के किसी सदस्य को लाभांश वारंट भेजने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि लाभांश की राशि भारत सरकार के खाते में सीधे ही जमा की गयी।

(iii) लाभांश, वापसी हेतु देय आवेदन राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर्स तथा उन पर देय ब्याज सहित भुगतान न की गयी ऐसी कोई राशि प्रकाश में नहीं आयी जो सात वर्ष की अवधि से दावा न किए जाने अथवा भुगतान न किए जाने के कारण अभी तक शेष हो।

(iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 134 का यथापेक्षानुसार पालन किया है।

(v) वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मूल–अर्जित प्रति शेयर राशि 2275.47 रूपये (गत वर्ष 1022.44 रूपये)

(vi) वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मंदी पड़ी हुई–अर्जित प्रति शेयर राशि 2275.47 रूपये (गत वर्ष 1022.44 रूपये)

10. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन हुआ है और निदेशकों की नियुक्ति विधिवत की गयी है। कम्पनी में इस कार्यावधि में कोई भी निदेशक सेवानिवृत नहीं हुआ है।

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल का विवरण

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डी.आई.एन.	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र की तिथि	नियुक्ति हेतु प्राधिकारी	धारा के तहत
1.	श्री ज्ञानेश पाण्डेय सी.एम.डी. (CMD)	03555957	26.07.2012	-	भारत सरकार	धारा (45)
2.	श्रीमती विजया श्रीवास्तव	07130203	19.02.2015	-	भारत सरकार	धारा (45)
3.	श्री के. सी. सामरिया	01812933	05.08.2014	-	भारत सरकार	धारा (45)
4.	श्री संजय कुमार जैन	06573103	10.04.2013	-	भारत सरकार	धारा (45)
5.	श्री देवीदास दत्ता	00229856	02.01.2013	01.01.2016	भारत सरकार	धारा (45)
6.	श्री अनील अशोक मसंद	03520037	02.01.2013	01.01.2016	भारत सरकार	धारा (45)
7.	प्रो. सुशील	05300091	02.01.2013	01.01.2016	भारत सरकार	धारा (45)

11. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंध निदेशक / पूर्ण–कालिक निदेशक / प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की है।

12. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सोल बिक्री एजेंट की नियुक्ति नहीं की है।

13. हमें सुलभ करायी गयी सूचना एवं विवरण के अनुसार कम्पनी के लिए वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत निर्धारित केन्द्र सरकार अथवा ऐसे ही अन्य प्राधिकारियों से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

14. निदेशकों ने रूचि प्रकट की है।

15. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है तथा ब्याज के सामान्य प्रकटीकरण को कार्यवृत में दर्ज किया गया है।

16. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी शेयर की वापसी खरीद नहीं की है।

17. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी के पास वरीयमान शेयर अथवा डिबेन्चर्स नहीं है।

18. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को शेयर के अंतरण का पंजीकरण लम्बित होने के कारण लाभांश, राइट शेयर तथा बोनस शेयर संबंधी कोई भी लेन–देन स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं थी।

19. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान धारा 73 के तहत आने वाली किसी भी जमा अथवा अप्रत्याभूत ऋणों को आमंत्रित / स्वीकार नहीं किया है।

20. कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी उधार नहीं लिया है।

21. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण अथवा पेशगी नहीं दी है और न ही किसी अन्य कारपोरेट संकाय को गारण्टी अथवा प्रतिभूति प्रदान की है। फलस्वरूप इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गयी है।

22. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थिति ज्ञापन के उपबंधों मे परिवर्तन नहीं किया है।

23. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन नहीं किया है।

24. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

25. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

26. कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्था के अंतर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

27. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत अपराध होने के प्रति कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गयी और न ही कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ और न ही कम्पनी पर कोई आर्थिक दण्ड या जुर्माना अथवा अन्य कोई दण्ड लगाया गया।

28. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से कोई राशि अथवा प्रत्याभूति प्राप्त नहीं हुई है।

29. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान भविष्य निधि के प्रति अंशदान की कटौती की है और इसे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों के अंषदान को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत प्राधिकरण / ट्रस्ट में जमा कराया गया है।

30. हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकता अनुरूप कम्पनी ने सी.एस.आर. समिति को पुर्नगठित किया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2016

कृते प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी

हस्ता./–
प्रवीन रस्तोगी
सी. पी. संख्या : 2883
सदस्यता संख्या : 4764

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र भी है, जिसमें समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ एवं हानि लेखों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश दिया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष तैयार करने के लिये कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (" अधिनियम ") की धारा 134(5) के तहत, आम–तौर पर भारत में मान्य लेखा विवरणों एवं लेखांकन मानकों के तहत तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं जो कम्पनी की साफ–सुथरी वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय उपलब्धियाँ तथा नकदी प्रवाह विवरणों को दर्शाते हैं, इसमें लेखा मानकों के तहत विनिर्दिष्ट धारा 133 के अधिनियम, कम्पनी (लेखा) नियमों, 2014 के अधीन पठनीय नियम 7 भी शामिल है। यह जिम्मेदारी भी कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और उसे रोकने, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख–रखाव शामिल, चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन, निर्णय एवं उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाकर उसका निर्वाहन कर रही है तथा डिजाइन, कार्यान्वयन और सामग्री गलत होने से मुक्त एक सच्ची और निष्पक्ष दृश्य देने के लिये तैयार कर रही है, वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिये प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे कि इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, रख–रखाव, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है या नहीं।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आवश्यक अधिनियम को ध्यान में रखा है जो लेखा और लेखा–परीक्षा मानकों तथा इन मामलों के प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गये नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं।

हमने इस ऑडिट प्रक्रिया को ऑडिट प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट धारा 143(10) अधिनियम के मानको के तहत किया है। ऑडिट के लिये हमने उन मानको को अपनाया है जिनकी योजना एवं नैतिकता के आधार पर जरूरत होती है एवं जिसमें उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये लेखा परीक्षा प्रदर्शन के लिये चाहे वो वित्तीय विवरण में सामग्री के गलत बयान से संबंधित हों, लेखा परीक्षा के लिये आवश्यकता होती है।

इस ऑडिट को उपलब्ध किये गये राशियों से संबंधी तथ्यों के तहत तैयार किया गया जिनका प्रकटन एवं उल्लेख वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है। यह चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जो माल के वित्तीय विवरण के गलत ब्यान के जोखिम का मूल्यांकन सहित, जोकि त्रुटि की धोखाधड़ी की वजह से है या नहीं है। उन जोखिम आकलन करने में, ये लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त हैं जो लेखा–परीक्षा / ऑडिट प्रक्रिया को डिजाइन करने के क्रम में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की तैयारी के लिये प्रासंगिक और वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के आवश्यक समझी जाती हैं। इस लेखा–परीक्षा / ऑडिट में लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के अलावा इसमें कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए अनुमान भी शामिल हैं, साथ ही साथ जिन्हें वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हमें विश्वास है कि लेखा–परीक्षा से संबंधित उपलब्ध कराये गये साक्ष्य पर आधारित ऑडिट और वित्तीय विवरणों में इस्तेमाल हमारी योग्य राय सही है एवं उसी पर आधारित है।

योग्य राय के आधार पर (Basis for Qualified Opinion)

निम्नलिखित लेखा अनुसूची 20 की ओर ध्यानाकृर्षित किया जाता है जो वित्तीय विवरण " लेखा टिप्पणियों " की भाग हैं :–

(क) (i) टिप्पणी संख्या – 20(1)(जी) : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – CRI, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय पर संबंधित वर्ष के दौरान कोई विकास कार्य नहीं किया गया है तथा देयता राशि को लेखा–पुस्तकों में अभीनिश्चत नहीं किया गया है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20(1) (एच) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये जमा करने के बारे में, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनओं से जमा किये जाने से बाहर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लम्बित निपटारों को देखते हुये खातों के लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20 (VI) : व्यापार प्राप्तियाँ, व्यापार देनदारियां, ऋण और अग्रिम, जमा और मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य शेष राशि की शेष सुलह और पुष्टि के अधीन है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, कम्पनी ने 4,92,03,690 रूपये की एक एफ.डी.आर. बनाई जिसमें वर्ष 2013–14 हेतु लाभांश खाते से अलग के लिये लाभांश वारंट (लाभांश चैक) के भुगतान हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक में एक खाता खोलकर उसमें यह राशि जमा की गई। इस एफ.डी.आर. पर, कम्पनी ने 1,41,169 रूपये की ब्याज अर्जित की है, लाभांश वारंट तक एफ.डी.आर. की तारीख से बीच की अवधि के दौरान बैंक में प्रस्तुत किया गया था जो लाभांश के भुगतान के नियमों का उल्लंघन है।

(v) टिप्पणी संख्या – 20(VIII) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया / अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 1387.81 लाख रूपये (गत वर्ष 939.55 लाख रूपये) 4 वर्षों के अधिक के ग्राहकों के जमा खातों में पड़े है।

(vi) ग्राहकों के कार्यों एवं दायित्व के परिणामस्वरूप व्यापार की लावारिस शेष राशि और अ–समायोजित देयता राशि पर कोई असर नहीं पड़ता, यदि कोई हो, अथवा ज्ञात नहीं है।

उपरोक्त योग्यता के प्रभाव में, अनिश्चितताओं को देखते हुये, लाभ और सम्पत्ति और कम्पनी की देनदारियां वर्तमान में गिनने योग्य (Quantifiable) नहीं हैं।

(ख) (i) अभी 132 परियोजनाएं मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा वित्तीय परियोजनाएं चल रही हैं। इन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया गया है और " मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से " अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रखे गए बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है तथा वर्ष की समाप्ति तक संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए जमा आंकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से अलग से कोई वित्तीय राशि नहीं रखी गई है, अपितु कम्पनी अपने पुराने ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान भी कर रही है। इन ग्राहकों के खातों में जमा राशि का विवरण ना होने के कारण और ग्राहकों के खातों में खर्चों का विवरण ना होने के कारण, इस तरह के खातों से होने वाली आय को भी कम्पनी की आय (राशि निर्धारित नहीं) के रूप में ली जाती है, तो 1038.88 लाख रूपये (पिछले वर्ष 1098.32 लाख रूपये) और उपरोक्त योग्य राय पैरा (क)(iii) के आधार पर टिप्पणी संख्या 20 (XXIV) के रूप में दर्ज की गई है।

कमियों के प्रभाव को बैंक खातों में मौजूदा किसी भी, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के अभाव में स्थायी जमा, अर्जित ब्याज और मंत्रालय में स्रोत पर कर कटौती / ग्राहक खातों और कम्पनी की वित्तीय अनुबंध "1" पैरा (iv) (सी) इस रिपोर्ट का पता नहीं लगा है।

योग्य राय (Qualified Opinion)

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार सबसे अच्छा करने के लिए एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद में वर्णित इस मामले के प्रभाव के अलावा, 31 मार्च, 2016 तक जिसका प्रभाव लाभ पर होगा एवं वर्ष के लिये यह सम्पत्ति / देनदारियों सहित मायने रखती है, इसके साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से कार्य करने एवं जानकारी देने के लिए आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार के तहत हमारी राय और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्टिंग तारीख और इसके लाभ और वर्ष के लिये अपने नकदी प्रवाह पर उस दिन समाप्त उसका लाभ सत्य एवं स्पष्ट है।

मामले का महत्व (Emphasis of Matter)

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्शित करते हैं :–

(क) टिप्पणी संख्या – XXIII सभी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सिविल परियोजनाओं और व्यय का लेखा उस पर किए गये खर्च के लिये ऑपरेटिंग राजस्व की मान्यता के लिये लेखांकन नीति में परिवर्तन रूप में दर्ज कर लिया जाता है।

(ख) टिप्पणी संख्या – XXIV व्यय के रूप में ग्राहकों के लिये ब्याज भुगतान को लेखा निदेशक मंडल के अनुमोदन के रूप में ग्राहकों (कायिक खाते / Corpus Account) से प्राप्त जमाओं से बाहर कर दिया एफ.डी.आर. पर ब्याज ब्याना राशि को लेखांकन के बारे में वित्तीय मान्यता दी जाती है।

(ग) कम्पनी ने एल.टी.सी. (LTC) प्रतिपूर्ति की दिशा में वर्ष के दौरान, 3.13 लाख रूपये का भुगतान किया है। हालांकि, दिनांक 31.03.2016 तक कम्पनी ने वित्तीय मूल्यांकन के रूप में प्राप्त नहीं की है।

(घ) वित्तीय विवरणों पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण (ऑडिटर रिपोर्ट का बिन्दु संख्या (बी)(i)) कमजोर है और जिसे मजबूत करने की जरूरत है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
(Report on other Legal and Regulatory Requirements)

1. कम्पनी आदेश (आडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2016 (" आदेश ") के तहत धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, इस दिशा में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 व 4 में लागू हद तक, उल्लिखित मामलों पर एक विवरण अनुबन्ध "1" के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जरूरी है, हम रिपोर्ट देते हैं कि : –

   (क) हमने वह सभी सूचना एवं विवरण प्राप्त किए जो हमारी आडिट की मांग, पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के लिए लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे।

   (ख) हमारे विचार से जहां तक खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ–हानि खाते लेखा बहियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   (घ) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरणों को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन अनुभाग –133 पठनीय अधिनियम के तहत तैयार किया गया है।

   (च) दिनांक 21.10.2003 को कम्पनी अधिनियम, 2013, जोकि पठनीय धारा 620(1) के तहत जारी, अधिसूचना संख्या : जी.एस.आर.–829(ई) के तहत जारी कम्पनी अधिनियम 1956 तथा पठनीय धारा 465(2) की उप–धारा (2) जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत ये प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होते।

   (झ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता को हमने अपनी अनुबंध–2 की रिपोर्ट में दे दिया है।

   (छ) अन्य विषय के संबंध में हमारी राय में कम्पनियों के नियम 11 (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में है और हमारी जानकारी में सबसे अच्छा है हमारे लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार करने के लिए भी :

      i. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों में आई अपनी स्थिति पर 31 मार्च, 2016 से ही लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 20 देखें)

      ii. दीर्घ–कालीन अनुबंध सहित कम्पनी का किसी भी मामले में अनुबंध लम्बित नहीं है जिसका प्रकटीकरण किया जाये।

      iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को हस्तांतरित करने के लिये कोई मात्रा नहीं है।

3. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143 (5) के अनुरूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये उप–दिशा के तहत हम अपने उत्तर अनुबंध "3" में दिये गये विवरण के तहत दे रहे हैं।

कृते **एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल.सी.गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 19.09.2016

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "1"

पैरा 3 और 4 के आदेश में निर्दिष्ट मामलों का विवरण धारा 143 की उप–धारा (11) में विनिर्दिष्ट किया गया है

(i) (क) कम्पनी ने मात्रा संबंधी विवरणों एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड बना रखा है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक रुप से जाँच पड़तालें की गई, जोकि हमारी राय में उचित है, यह कम्पनी के आकार और स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के अनुरुप तर्कसंगत हैं। कम्पनी के चार्टर्ड एकाउंटेंड की एक फर्म द्वारा किए गए वर्ष 2015–16 के लिए तय की स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है तथा कोई सामग्री विसंगतियों के तहत सत्यापन हेतु नहीं पाई गई।

(ii) क्योंकि कम्पनी द्वारा कोई माल–सूची नहीं बनायी जाती है, सभी अनुबंधों पर टर्नकी आधार पर सामग्री के साथ ठेकेदारों को कार्य दिया जाता है, इसलिए यह पैरा इन पर लागू नहीं होते।

(iii) हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर, कम्पनी ने कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया और ना ही कोई ऋण लिया। कम्पनी अधिनियम, 2013, अन्य पैरा की धारा 189 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कम्पनी संगठन से / अथवा अन्य पार्टियों तथा / अथवा कम्पनी से किसी प्रकार का आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है, इसलिये इस पैरा के आदेश लागू नहीं होते।

(iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण, निवेश की सुरक्षा की गारंटी अथवा इसके तहत अनुभाग 185 तथा / और अनुभाग 186 का उल्लंघन नहीं किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर हमारी राय में, कम्पनी ने जन–साधारण से कोई भी राशि जमा अथवा स्वीकार नहीं की है अतः धारा 73 से 76 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है और ना ही ये कम्पनी पर लागू होते हैं।

(vi) हमारे विचार में और सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, कम्पनी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है :

(क) आमतौर पर यह देरी ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के लिये ठेकेदारों द्वारा आर.ए. (R.A.) एवं अंतिम बिलों के विलंब से दिये जाने के कारण हुई है। यह सेवा–कर अधिनियम के अनुसार आय के लेखांकन में विलंब का परिणाम है।

(ख) कारोबार जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा प्रक्रियाओं हेतु कम्पनी की नीतियों के साथ जोखिम, परिचालन नियंत्रण और अनुपालन के आत्म–मूल्यांकन के लिए स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) कम्पनी में स्थायी जमा राशि और ब्याज की निश्चित विश्लेषण जमा खातों की एक वास्तविक समय प्रणाली, परिपक्वता की तारीख के लेखांकन की है, बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को सत्यापन और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना है, अतः खरीदी गई वस्तुओं की बिक्री और उनकी इन्वेंटरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(vii) केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों का रख–रखाव निर्धारित नहीं किया है।

(viii) (क) आमतौर पर कम्पनी ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि नियमित रुप से जमा की है तथा कम्पनी पर कोई राशि बकाया नहीं है। हमें दी गई जानकारी और सूचना के आधार पर हमारे विचार में, कम्पनी ठेकेदारों के श्रमिक और उनके पी.एफ. और ई.एस.आई. को सही प्रक्रियाओं और प्रणाली के तहत जमा करती आ रही है तथा उस पर कोई बकाया नहीं है। कम्पनी आमतौर पर आ यकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क को नियमित रूप से जमा करती है, मूल्य संवर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि उपयुक्त प्राधिकरण में जमा की जाती है तथा उनकी ओर से कोई बकाया नहीं है।

(ख) कम्पनी के रिकार्ड और हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, कम्पनी पर किसी भी प्रकार का बिक्री–कर या संपत्ति कर या उत्पाद शुल्क या मूल्य–वर्धित कर या उपकर या सीमा–शुल्क की राशि बकाया नहीं है। हालांकि विवाद के कारण जमा नहीं किए गए, वो आयकर इस प्रकार है:–

देय का नाम	देय का प्रकार	राशि लाख में	संबंधित अवधि	किस फोरम के तहत लंबित है
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स	5.29 प्लस दण्ड और ब्याज के बराबर राशि	अक्टूबर 2009 – सितम्बर 2010	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स (सेनवैट क्रेडिट)	10.05 प्लस ब्याज	अप्रैल 2010 – मार्च 2012	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
आयकर अधिनियम	आयकर	1452.00 लाख	वित्तीय वर्ष 2012–13	सी.आई.टी. (अपील)

(ग) हमें सुलभ करायी गई सूचना एवं विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में से किसी भी राशि को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

(ix) हमें सुलभ करायी गई सूचना एवं विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी पर धोखाधड़ी की सूचना अथवा उनके द्वारा अथवा कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(x) जब से कम्पनी स्वामित्व में आई है तब से कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। अतः यह पैरा लागू नहीं होता।

(xi) हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी ने किसी भी बैंक अथवा बैंको के अलावा वित्तीय संस्थानों से ऋणों के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।

(xii) हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 2013 के तहत, आहरित अनुमोदन मेनडेटिड द्वारा कम्पनी ने धारा 197, जोकि पठित अनुसूची–V के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार अपना प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

(xiii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है तथा इसलिये सी.ए.आर.ओ.–2016 के आदेष के खण्ड–(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं हैं।

(xiv) वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी प्रकार के निजी शेयरों का आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट? या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स का लेन–देन नहीं किया है तथा इसलिये सी.ए.आर.ओ.–2016 के आदेश के खण्ड–(xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं हैं।

(xiv) हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में विनिर्दिष्ट नियमों के तहत, कम्पनी ने उसके साथ जुड़े हुये निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकद या लेन–देन नहीं किया है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के तहत पजीकृत किसी भी वस्तुओं का कारोबार अथवा कार्यकलापों का लेन–देन नहीं करती है।

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 19.09.2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षों की रिपोर्ट का अनुबंध "2"

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड (" कम्पनी ") की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का स्टैंड–अलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी लेखा–परीक्षा के साथ संयोजन की उस तिथि तक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण लेखा–परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी के प्रबंधन की स्थापना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये हैं, आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने एवं मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है, आंतरिक वित्तीय की लेखा–परीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करता है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और अपने व्यापार के रख–रखाव और उसके कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, कम्पनी की नितियों के पालन सहित, अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक माहौल एवं वातावरण तैयार करना है।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने की है। हम वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्ग–दर्शक टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर साथ गाइडेंस नोट अनुसार हमारे लेखा–परीक्षा का आयोजन तथा अंकेक्षण पर मानक, आई.सी.ए.ई. द्वारा जारी किये गये और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा–परीक्षा को प्रतिपादित करने एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को एक लेखा–परीक्षा के लिये लागू किया गया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई है। हमारे द्वारा इस्तेमाल किये गये मानक एवं गाइडेंस टिप्पणियां उन्हें लेखा–परीक्षा में हमने नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के आधार पर प्रयोग किया गया है तथा इस योजना को कार्यान्वित करने कि क्या यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये तथा लेखा–परीक्षा प्रदर्शन करने में अगर इस तरह के नियंत्रण को सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित की जाती हैं।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभाव के बारे में लेखा–परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने वाले मानक शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग को तैयार करने में हमने लेखा–परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की बारिकियों और दूरदर्शिता मद्देनजर मारी लेखा–परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझदारी भी शामिल है जो जाखिम की एक सामग्री कमजोरी मौजूद आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम तथा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रक्रियाओं से चयनित लेखा–परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि, जो भी हो, इसमें वित्तीय ब्यान की सामग्री एवं गलत ब्यान के जोखिम का आकलन भी शामिल हैं।

हम मानते हैं कि लेखा–परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा की राय में आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ और वित्तीय रिपोर्टिंग

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये बनाई गई है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है जोकि ; (1) यह कि, उचित विस्तार से, सही अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित है और काफी लेन–देन और कम्पनी की सम्पत्ति के स्वभाव को प्रतिबिंबित (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, यह कि लेन–देन में आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिये दर्ज कर रहे हैं तथा आवश्यक अनुरूप और प्राप्तियों और व्यय को कम्पनी के केवल प्रबंधन प्राधिकरण और कम्पनी के निदेशक के अनुसार किया जा रहा है, जैसा कि (3) रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण के समय का पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, कम्पनी की सम्पत्ति का स्वभाव है कि वित्तीय ब्यान पर एक सामग्री हो सकता है जिसका उल्लेख वित्तीय विवरणों में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय की निहित सीमाओं पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं की, मिली–भगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन तथा ओवर–राइड की संभावना सहित धोखाधड़ी के होने अथवा नहीं होने की स्थिति अथवा किसी भी त्रुटि के कारण सामग्री गलत ब्यानों का पता लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, भविष्य अवधि के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है इन शर्तों में परिवर्तन की वजह से या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय (Opinion)

हमारे विचार से, 31 मार्च, 2016 तक के आकंड़ों तक, कम्पनी ने सामग्री के सभी मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में सुधार की जरूरत है। वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में कहा गया है, जोकि आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके स्थापित आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते **एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 19.09.2016

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "3"

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 2015–16 के दौरान वार्षिक खातों का सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा किये गये ऑडिट पर दिशा–निर्देश / उप–दिशा–निर्देश क्षेत्रों पर जांच हेतु टिप्पणी की है।

क्रम संख्या	दिशा–निर्देश / उप–दिशा–निर्देश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
क	**दिशा–निर्देश**		
1.	कृपया बतायें कि क्या कम्पनी का शीर्षक / लीज़ क्रमशः फ्री–होल्ड और लीज़–होल्ड प्रलेख क्रमानुसार है? यदि नहीं, तो कृपया बतायें किस भूमि का फ्री–होल्ड / लीज–होल्ड शीर्षक क्षेत्र और उसके कार्य की डीड उपलब्ध नहीं है।	कम्पनी के पास भूमि पटटे की फ्री–होल्ड और लीज–होल्ड का स्पष्ट शीर्षक / लीज–डीड है।	– शून्य –
2.	क्या वहाँ छूट के किसी भी मामलें / चाहे वे डेबिटों के बट्टे खातों / ऋणों / ब्याज इत्यादि, यदि हाँ तो कोई हो तो वहाँ के लिये और राशि शामिल की जाये।	– शून्य –	– शून्य –
3.	सरकार और अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में स्वीकार किये जाने वाले माल एवं अन्य वस्तुओं का उचित रिकार्ड किया जाता है।	लागू नहीं, कम्पनी की वजह से अपने कारोबार की प्रकृति की किसी भी सूची को जारी नहीं करती है तथा कोई भी सम्पत्ति उपहार के रूप में सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त नहीं की है।	– शून्य –
ख	**उप–दिशा–निर्देश : शून्य**		

कृते **एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 19.09.2016

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को (रुपयों में)	31 मार्च, 2015 को (रुपयों में)
I इक्विटी एवं देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधियां:			
(क) शेयर पूंजी	2	24001800	24001800
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	1718225451	1369272403
(ग) विनिर्दिष्ट आरक्षित	4	13660523	15254582
2 अ–सामयिक देयताएं			
(क) अन्य दीर्घ–कालीन प्रावधान	5	54530451	58930802
(ख) दीर्घ–कालीन प्रावधान	6	59893737	51224388
3 वर्तमान देयताएं			
(क) ट्रेड भुगतान योग्य	7	3784904	4502318
(ख) (i) अन्य वर्तमान देयताएं	8	606886073	587084765
(ii) अन्य वर्तमान देयताएं – मंत्रालय/ग्राहक		16806561917	11793590637
(ग) अल्प–अवधि प्रावधान	9	173296542	67812027
योग		**19462841398**	**13971673722**
II परिसंपत्तियां			
1 अ–सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां	10		
(i) मूर्त		62627411	64804719
(ii) अ–मूर्त		832006	111092
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल)	11	46375884	28392327
(ग) दीर्घ कालीन ऋण तथा अग्रिम	12	8591639	8862849
2 सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) ट्रेड प्राप्ति योग्य	13	424524650	310906972
(ख) (i) नकद तथा नकद समकक्ष	14	1559144086	1337107712
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		12472937549	10124994489
(ग) (i) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम	15	281916211	173591629
(ii) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		1562475273	1468450268
(घ) (i) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	16	2844569040	254305785
(ii) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		196847649	200145880
योग		**19462841398**	**13971673722**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03555957

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन: 06573103

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)
एंड कंपनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : 19.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं0	2015-16		2014-15	
I. प्रचालनों से राजस्व					
किये गये कार्य की राशि			10218042198		4900422891
II. अन्य आय	17		851764163		857239082
III. कुल राजस्व (I+II)			**11069806361**		**5757661973**
IV. व्यय :					
क अनुबन्ध खर्च			9240240153		4477651667
ख ब्याज श्रेय/सरकारी डाइवर्स के लिए भुगतान किया गया			594447522		641518445
ग कर्मचारी लाभ व्यय	18		221695764		184749751
घ. प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	19		127322141		67343452
ङ मूल्यह्रास एवं प्रतिशोधन व्यय	10		6295172		6942182
V. कुल व्यय			**10190000752**		**5378205497**
VI. अपवादी में असाधारण मदा से पहले लाभ एवं कर (III - V)			879805609		379456476
VII. कर पूर्व लाभ (Profit before Tax)			11148894		-
VIII. कर पूर्व लाभ (VI - VII)			868656715		379456476
IX. कर व्यय :					
वर्तमान कर		340485522		141000000	
आस्थगित कर		(17983557)	322501965	(6947759)	134052241
X. वर्ष हेतु लाभ (VIII - IX)			**546154750**		**245404235**
XI. 100 रूपये के प्रति अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	20(XXI)				
प्रति शेयर आय बेसिक			2275.47		1022.44
प्रति शेयर कम की गयी आय			2275.47		1022.44

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03555957

ह0/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन: 06573103

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)
एंड कंपनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : 19.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2016 तक		31.03.2015 तक	
(क) नकद प्रवाह प्रचालक कार्यकलाप				
कर पूर्व लाभ		868656715		379456476
समायोजन हेतु :				
मूल्यह्रास तथा परिशोधन बिक्री / परिसमाप्त परिसम्पत्तियों पर लाभ एवं हानि रु. 62,95,172/- और गतअवधि मूल्यह्रास रु. 35,791/-	6330963		6942182	
योग : बिक्री पर हानि/रद्दी सम्पत्तियां	-	6330963	70292	7012474
घटाए : स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	11383		-	
घटाए : वापसी हेतु प्रावधान (लाभांश कर)	57594		-	
घटाए : स्वीकृत ब्याज	249183152	249252129	213231654	213231654
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालक लाभ		**625735549**		**173237296**
समायोजन हेतु :				
योग : अन्य वर्तमान देयताओं की बढ़ोतरी – मंत्रालय	5012971280		2540611642	
योग : अन्य दीर्घकालीन देयताओं की बढ़ोतरी	-		3028975	
योग : प्रावधानों की बढ़ोतरी	4485,384		5214892	
योग : अन्य वर्तमान देयताओं की बढ़ोतरी	21801308		-	
योग : प्राप्ती योग ट्रेड मे कमी	-		4693001	
योग : अल्पकालीन लोन एवं अग्रिमों में कमी	-		-	
योग : अल्पकालीन लोन एवं अग्रिमों में कमी – मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	-		469483055	
योग : दीर्घकालीन लोन एवं अग्रिमों में कमी	271210		-	
योग : अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में कमी – मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	1298231		-	
योग		**5040827413**		**3023031565**
घटाए : दीर्घकालीन लोन एवं अग्रिमों में बढ़ोतरी	-		538270	
घटाए : अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में बढ़ोतरी – मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	-		135150546	
घटाए : अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में बढ़ोतरी	2590201106		37631951	
घटाए : अल्पकालीन लोन एवं अग्रिमों में बढ़ोतरी–मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	94025005		-	
घटाए : अल्पकालीन लोन एवं अग्रिमों में बढ़ोतरी	108324582		108580636	
घटाए : प्राप्ति योग ट्रेड में बढ़ोतरी	113617678		-	
घटाए : अन्य दीर्घकालीन देयताओं में कमी	4400351		-	
घटाए : प्राप्ति योग ट्रेड में कमी	717414		1430215	
घटाए : सीएसआर फण्ड में कमी	1594059		-	
घटाए : अन्य वर्तमान देयताओं में कमी	-		128655139	
योग		**2912880195**		**411986757**
प्रचालक कार्यकलापों से नकद राशि की उत्पत्ति		2753682767		2784282104
घटाए : प्रत्यक्ष कर का भुगतान		368740746		115996743
प्रचालक कार्यकलापों से कुल नकद प्रवाह		**2384942021**		**2668285361**
(ख) निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री	38696		73431	
योग : ब्याज प्राप्त	249183152		213231654	
घटाए : नये उपकरणों का क्रयण	4964033		4076503	
निवेश कार्यकलापों हेतु कुल नकद प्रवाह		244257815		209228582
(ग) वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह :				
भुगतान किये गये इक्विटी शेयरों पर लाभांश	49203690		49203690	
योग : भुगतान किया गया लाभांश	10016714		8362170	
वित्तीय कार्यकलापों से कुल नकद		59220404		57565860
नकद और नकद के सन्तुल्य में कुल बढ़ोतरी / कमी		2569979434		2819948082
नकद, वर्ष के शुरूवात में		11462102201		8642154119
नकद, वर्ष के अन्त में		14032081635		11462102201
सारांश (Summary) :–				
नकद, वर्ष के अन्त में				
(क) अग्रिम राशि सहित – हस्तगत नकद		435974		216920
(ख) बैंकों में शेष राशि				
– चालू खातों में		291734211		267540115
– जमा खातों में (< 1 वर्ष)				
– जमा खातों में (> 1 वर्ष)		1266973901		1069350677
योग (क)		**1559144086**		**1337107712**
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य बैंकों में उपलब्ध राशि				
– बचत खाते में		909798779		394451266
– जमा खाते में (< 1 वर्ष)				
– जमा खाते में (> 1 वर्ष)		11563138770		9730543223
योग (ख)		**12472937549**		**10124994489**
योग (क+ख)		**14032081635**		**11462102201**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 006122
स्थान : नोएडा
दिनांक : 19.09.2016

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से
ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03555957

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन: 06573103

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)
एंड कंपनी सचिव

1. लेखा संबंधी आवश्यक नीतियाँ

I. कम्पनी के विषय में

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार की एक मीनि–रत्न (केटेगरी – I कम्पनी) है जो हैल्थ–केयर तथा सामाजिक क्षेत्रों में सु–विख्यात परामर्शदायी एवं प्रापण प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन है। जिसकी सेवाओं का वर्णक्रम भारत तथा विदेशों में साध्यता शिक्षण, डिजाइन इंजीनियरिंग, विस्तृत टेंडर डॉक्यूमैन्टेशन, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, समस्त क्षेत्रों में सिविल, इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सूचना तकनीकी तथा सहायक मेडिकल सेवाएं क्षेत्रों में प्रापण समर्थन सेवाएं प्रदान करना है।

II. तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये भारत में प्रयुक्त लेखा मानकों से संबंधित समस्त सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत पठित नियम 7 के कम्पनी नियम (लेखा), 2014 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को संभूति आधार पर एक ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन तैयार किया गया है। कम्पनी द्वारा लेखांकन नीतियों की गत वर्ष इस्तेमाल की गई नीतियों से लगातार जांच की जाती है तथा उन्हें ही प्रयोग में लाया जाता है। लेखांकन नीतियां लगातार कम्पनी द्वारा लागू की गई हैं, सिवाय एक नई लेखा मानक को शुरू में अपनाया जाता है जहां एक या मौजूदा लेखा मानक को एक संशोधन के उपयोग में अब तक लेखा–नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

III. अनुमान के उपयोग (Use of Estimates)

आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन का अनुमान है और परिसंपत्तियां और देनदारियों, वित्तीय ब्यान की तारीख के रूप में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण की सूचना को प्रभावित करने वाली मान्यताओं और सूचना के अंतर्गत आता है तथा आकलन की गई अवधि के दौरान आवश्यक राजस्व और खर्चों के तहत दर्ज की जाती है। इस तरह के अनुमान अनुबंध की भविष्यत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये तथा लागत में खर्च किये जाने के लिये लेखांकन में शामिल है। अनिश्चित ऋणों एवं कर्मचारियों द्वारा लिये गये अग्रिमों, सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तहत दायित्वों, करों और आय एवं अचल सम्पत्ति का उपयोगी जीवन के निर्धारण हेतु प्रावधान पर प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों के तहत प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं और इस तरह के मतभेदों से अलग की गई अवधि में जो परिणाम के माध्यम से / प्रभावी जाने जाते हैं इसमें इन्हें मान्यता दी जाती है।

IV. राजस्व मान्यता (Revenue Recogniation)

विभिन्न सेवाओं के बारे में तथा उनसे प्राप्त राजस्व की मान्यता संबंधी नीतियां निम्नानुसार हैं :–

क) निर्माण संविदाओं पर (परियोजना प्रबंध)

i. परामर्श शुल्क को ग्राहकों के साथ हुए समझौतों के अनुसार पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसुल किए गए कार्यों के आधार पर दी जाती है। जहां पूरे हुये कार्य कों वर्ष भर नहीं आंका जाता, परामर्श शुल्क को आय में पूरे हुये कार्य को तकनीकी निर्धारित आधार पर आय में मान लिया जाता है।

ii. पूरे किये गये कार्य का मूल्य / परामर्श शुल्क के आधार पर उसे निर्धारित किया जाता है तथा उसी आधार पर ठेकों का प्रतिशत समाप्त करने पर उन्हें मान्यता दी जाती है।

iii. वर्ष के अन्त में, काम किया गया पर उसे निष्पादित नहीं मापा गया ऐसे कार्यों को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाण–पत्र के आधार पर नियत किया जाएगा।

iv. बन्द पड़ी / समाप्त पड़ी परियोजनाओं के मामलों में, राजस्व केवल अनुबंध के उस भाग की सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिनमें वसूली के लिये परियोजना के प्रभारी इंजीनियर द्वारा सहमति दे दी जाती है जोकि पिछले अनुभव के आधार पर ही संभावित है।

v. जमा और / या लागत के अतिरिक्त ठेकों के मामलों में, राजस्व को काम के अनुसार ठेकेदार की निर्धारित आनुपातिक लागत की प्रतिशत के आधार पर किये गये खर्चे को मान्यता दी जाती है।

vi. अतिरिक्त / प्रतिस्थापित मदों के मामलों में दावे के मूल्य मद दर के आधार पर वे मान्यता प्राप्त हैं और अन्य दावों पर पिछले अनुभव के आधार पर इस परियोजना के प्रभारी अभियंता द्वारा उन्हें वसूली योग्य माना जाता है।

ख) प्रापण पर (On Procurement)

i. राजस्व (फीस) को ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग–अलग चरणों में पूरे किये गए कार्यों के लिए आय की मान्यता वसूल किए गए बिलों / प्राप्त कि गये कार्यों / स्तरों के आधार पर दी जाती है।

ii. परामर्श शुल्क ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ऐसी अवस्थाओं में मान्यता नहीं जाती है, परामर्श शुल्क को आय में निम्नानुसार मान्यता दी जाती है :–

आपूर्ति आदेश के कार्यादेश देने पर – कुल 70% शुल्क प्राप्त किया जाता है।

बाकी का 30% शुल्क – उपस्कर प्राप्त होने / लग जाने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) डिजाइन इंजीनियरिंग / शिक्षण / डी.पी.आर. / समझौता ज्ञापन / प्रशिक्षण / सूचना तकनीकी / लॉजिस्टीक एवं संस्थापन एवं परामर्श कार्य

राजस्व ग्राहकों के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित फीस के संबंध में प्रस्तुत बिलों के आधार पर उन्हें आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ) **साधारण**

i. जहां परियोजना की लागत में संशोधन किया जाता है वहां राजस्व (फीस) आय को उस लेखा वर्ष में संशोधित लागत में दिखाया जाता है।

ii. यदि शुल्क के बदले संसाधन जुटाने में अग्रिम लिया गया हो तब वह समानुपातिक आधारों पर ग्राहकों के साथ हुए समझौतों अनुसार मान्यता दी जाती है।

iii. यदि अग्रिम शुल्क, प्रथमावस्था भुगतान का भाग हो तब यह अगले भुगतान पर समझौते अनुसार ले लिया जाता है।

ङ.) **ब्याज** (Interest)

ग्राहकों से प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज आय के रूप में जिम्मेदार है। ब्याज का भुगतान / ग्राहकों के लिये श्रेय अनुसार समझौते की शर्तों के व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

V. **मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां** (Tangible & Intangible Assets)

क. **स्थायी संपत्तियां** (Fixed Assets)

i. **मूर्त संपत्तियां** (Tangible Assets)

अगर किसी अमूर्त संपत्ति, अधिग्रहण लागत, संचित मूल्यह्रास होता है तो उसे शुद्ध और संचित हानि या नुकसान कहा जाता है। मूर्त संपत्ति की मदों से संबंधित बाद के व्यय इसकी बुक–वैल्यू को ही वृद्धि प्रदर्शन के पहले का मूल्यांकन मानक से परे मौजूदा संपत्ति से भविष्य के हित–लाभ से जोड़ रहे हैं।

ii. **समाप्त / प्रयोग में नहीं संपत्तियां** (Retired / Unusable Assets)

मूर्त–संपत्ति की मदों को सक्रिय उपयोग करने के उद्देश्य उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है तथा उन मदों का निपटारा निवल बही मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम कर दी जाती है तथा " निपटारे हेतु रोकी गई सम्पत्ति " के अन्तर्गत वित्तीय लेखों में अलग से दर्शायी जाती है।

iii. **अमूर्त संपत्तियां** (Intangible Assets)

अमूर्त संपत्तियां को अधिग्रहण लागत के तहत दर्ज की जाती है, और यदि कोई नुकसान होता है तो उसे शुद्ध संचित परिशोधित हानि मानी जाती है। इस लागत में (छूट और छूट को घटाकर) क्रय करने की लागत राशि भी शामिल है तथा इसे किसी भी प्ररोक्ष कारण के बिना इसके उपयोग के लिये सम्पत्ति के लिये तैयार कर रही है।

ख. **मूल्यह्रास** (Depreciation)

क. **मूर्त परिसंपत्तियां** (Tangible Assets)

I. स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 में, अब तक अनुसूची– II में निर्धारित दरों एवं तरीके से लिखित मूल्य पद्धति पर दिया जाता है, वर्ष के दौरान 5000 रूपये तक की प्रत्येक सम्पत्ति को पूरी तरह से खरीद कर उसे मूल्यह्रासित किया जाता है।

II. पट्टा भूमि का पट्टा अवधि के समय परिशोधन यथानुपात ढंग से किया जाता है।

ख. **अमूर्त परिसंपत्तियां** (Intangible Assets)

I. अमूर्त सम्पति की लागत 3 वर्ष से अधिक की वस्तुओं के उपयोगी जीवन पर मूल्य विधि नीचे परिशोधित लिखा गया है।

II. वर्ष में 5000 / – रूपये से कम राशि के सॉफ्टवेयर को मूल्य–ह्रासित कर दिया गया है।

VI. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की 20,000/– रुपये प्रत्येक से अधिक की आय / व्यय को पूर्व वर्षों की पूर्व अवधि आय / व्यय मदें समझना एवं यथोचित उल्लेख किया गया है।

VII. पूर्वदत्त व्यय

अनुवर्ती वर्षों से संबंधित 20,000/– रुपये तक के प्रत्येक व्यय को चालू वर्ष के व्यय से लिया गया है। 20,000/– रुपये से अधिक के खर्चों को पूर्वदत्त खर्च माना गया है।

VIII. कर्मचारी हित–लाभ (सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पश्चात)

Employee Benefits (Retirement / Post Retirement)

क. अल्प–कालिक लाभ (Short Term Benefits)

वेतन, भत्ते और प्रदर्शन से संबंधित वेतन की तरह वर्ष में अल्प–अवधि कर्मचारियों के लाभ संबंधित सेवाओं के तहत प्रदान किये जाते हैं जो खर्च के रूप में पहचाने जाते हैं।

I. गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत (Leave Travel Concesssin – LTC for Home Town)

कम्पनी की ओर से कर्मचारियों तथा उन पर आश्रितों के लिये यात्रा भत्ता रियायत योजना है। यह योजना अनिधिक है एवं इसे मूल भुगतान आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

ख. दीर्घ–कालिक योजना (परिभाषित योगदान)

परिभाषित योगदान योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जहां कम्पनियों को भविष्य निधि, पेंशन निधि इत्यादि के योगदान का निश्चित प्रतिशत का भुगतान करती है।

I. चिकित्सा सुविधा (Medical Facility)

कम्पनी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसके तहत चिकित्सा लाभ योजना है। यह योजना कम्पनी द्वारा वित्त पोषित है तथा एक अलग ट्रस्ट अर्थात " एच एस सी सी कर्मचारी मेडिकल फण्ड ट्रस्ट " द्वारा चिकित्सा पर हुये खर्चों का भुगतान किया जाता है। ट्रस्ट को योगदान भुगतान के आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

II. पेंशन योजनाएं (Pension Plans)

ऐसी सेवानिवृत्ति योजना के रूप में निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, कर्मचारी पेंशन योजना आदि किए जाने के लिए आवश्यक योगदान की राशि के आधार पर एक व्यय के रूप में चार्ज की जाती है और इन सेवाओं को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान भविष्य निधि के नियोक्ता के शेयर से बाहर है।

III. भविष्य–निधि (Provident Fund)

भविष्य निधि अंशदान पी.एफ. ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एक ट्रस्ट नाम से प्रशासित है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत, न्यास के सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला घोषित ब्याज वैधानिक दर से कम नहीं होगा, और यदि कम होता है, फिर भी कोई हो तो, कम्पनी द्वारा अच्छा किया जायेगा।

ग. दीर्घ–कालिक योजनाएं (परिभाषित योगदान)

I. उपदान (Gratuity)

कम्पनी भी उपदान (ग्रेच्युटी), मुआवजा अनुपस्थिति के रूप में सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पश्चात लाभ प्रदान करती है। इस तरह परिभाषित लाभ की योजनाओं की दिशा में समूह का दायित्व मूल्यांकनों के आधार पर निर्धारित होता है। तुलन–पत्र की तिथि के रूप में, अनुमान इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग स्वतंत्र रूप से पंजीकृत की गई है। परिभाषित लाभ की योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ (Actuarial Gains) या हानि पाई जाने की स्थिति में उसे उसी वर्ष के लाभ एवं हानि के लेखों में दर्ज कर ली जाती है।

कम्पनी में उपदान प्रतिपूर्ति हित–लाभ को परिभाषित कर रखा है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक का सेवा–काल पूरा कर लिया हो वह वर्ष में 15 दिन का वेतन–मान (बिमारी की छुट्टी 15 / 26 गुणा लिया गया अन्तिम वेतन, मंहगाई भत्ता) के आधार पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष जिसमें उसकी अधिवार्षिता (Superannuation), त्याग–पत्र (Resignation), समाप्ति (Termination), या उसकी विकलंगता या मृत्यु होने की दशा में उसे

अधिकतम राशि 10 लाख रूपये (गत वर्ष 10 लाख रूपये) मिलने का प्रावधान है। यह योजना " एच एस सी सी कर्मचारी उपदान फण्ड ट्रस्ट " के नाम से जानी जाती है जोकि कम्पनी के अलग से ट्रस्ट द्वारा वित्त–पोषित की गई है. कम्पनी ने ग्रुप–ग्रेच्युटी–एवं–जीवन बीमा योजना लागू है जोकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यवस्थितित है। जितनी राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देनी होती है उतनी राशि की गणना करके योजना की देयताओं का वास्तविक मूल्याकंन करके उन्हें वार्षिक आधार पर मानकर उसे मान्यता दे जाती है।

II. छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

कम्पनी ने छुट्टी प्रतिपूर्ति हित–लाभ को अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध–वेतन (बिमारी की छुट्टी) हेतु अनुपस्थितित के भुगतान के रूप में परिभाषित कर रखा है। यह योजना अ–निधि है तथा जिसे मूल भुगतान आधार पर परियोजना एकक क्रेडिट विधि को प्रयोग करके लाभ एवं हानि लेखे में वास्तविक मूल्याकंन करके वार्षिक आधार पर मान्यता दे जाती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त की गई राशि को लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता दे दी गई है।

IX. उपलब्धि संबंधित आय (Performance Related Pay – P R P)

लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिशा–निर्देशानुसार, कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार उपलब्धि संबंधित आय (Performance Related Pay – P R P) दी जाती है। यह पी.बी.टी. का 3% तथा पी.बी.टी. का 2% अथवा बड़े हुये लाभ का 10% प्रदान किया जाता है बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों को पी.बी.टी. का 5% तथा अतिरिक्त दायित्व के लिये अ–कार्यपालकों को प्रदान किया जाता है।

X. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन उल्लेख संबंधित लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। विनिमय दर में बाद में आए उतार–चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को चाहे वो निपटारे पर हो को मानकीकृत लेखों में आंका जाता है, ग्राहकों की ओर से किए गए ऐसे लेन–देन को उसके खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

XI. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर हुये राजस्व खर्चों को उसी वर्ष के खर्चों में दर्ज किया जाता है। ऐसे मामले जिनमें स्थायी संपत्ति को अनुसंधान के संदर्भ में लिया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में वैसी ही पूंजीकृत और संपत्ति का उपयोगी जीवन उसके निम्नतर मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है।

XII. कराधान हेतु प्रावधान

कर खर्चे वर्तमान और आस्थगित कर में शामिल हैं। वर्तमान आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्राधिकरण में भुगताई गई राशि के अनुसार संभावित राशि के साथ मापा जाता है। आस्थगित आयकर योग्य आय और वर्ष के लिए लेखांकन आय और पहले के वर्षों / अवधि के अंतर एवं परिवर्तित समय–अनुसार वर्तमान वर्ष के समय मतभेद के प्रभाव को दर्शाते हैं। आस्थगित कर को आयकर की दरों और स्वतंत्र तुलन–पत्र की तिथि में अधिनियमित तथा अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है। आस्थगित कर द्वारा संपत्ति और आस्थगित कर की देनदारियों की भरपाई की जा रही हैं, एक कानूनी रूप से लागू सही वर्तमान कर संपत्ति से दूर स्थापित करने के लिये मौजूद है एक अधिसूचित कराधान कानूनों द्वारा लगाई गई आय पर करों से संबंधित है। आस्थगित कर संपत्ति पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय में आस्थगित कर संपत्ति की तरह महसूस की जा सकता है, जो आस्थगित कर के विरूद्ध लेखों में उपलब्ध है यह पूर्णतया निश्चित नहीं है तथा एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध है।

XIII. देयताएं / उपबंध जिनकी दीर्घकालीन आवश्यकता नहीं

चार वर्ष या उससे अधिक की देयताओं / उपबंधों को तुलन पत्र की तिथि तक हटा दिया गया है। भविष्य में उस तिथि के बाद अगर कोई दावा किया जाता है तो उसी वर्ष चार्ज–ऑफ कर दिया जायेगा।

XIV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

अतीत की घटनाओं के परिणामों के कारण यही संभावित वर्तमान दायित्व हैं जब कम्पनी एक उद्यम के रूप में कार्यरत है; इससे संसाधनों के बहिर्वाह का एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है तथा इसमें दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिये पूर्वानुमानों की संभावना है। प्रावधानों को वर्तमान मूल्य–अनुसार रियायती नहीं किया जा रहा है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि के दौरान समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान विवरणों के तहत, एक अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिये समायोजित किया गया है।

आकस्मिक देयताएं जोकि अस्तित्व में नहीं आते अत: उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है, वे कम्पनी के वर्तमान दायित्वों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उनका भविष्य की एक या एक से अधिक घटनाओं और अनिश्चित घटनाओं के तहत पुष्टि नहीं की जाती क्योंकि अतीत की घटनाओं से विभिन्न संसाधनों का उत्सर्जन होता है और इन्ही संसाधनों से बहिर्वाह दायित्वों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। किन्तु कुछ मामलों में प्रत्यक्ष नजर आई आकस्मिक दायित्वों को अत्यंत दुर्लभ और कमजोर होने की दशा में मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मान्यता–प्राप्त नहीं हैं। आकस्मिक देयताओं का खुलासा कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त नहीं है,

आकस्मिक आस्तियों जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनका प्रकटीकरण और खुलासा नहीं कर रहे हैं। आकस्मिक देयताओं का खुलासा कर रहे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। आकस्मिक परिसम्पत्ति ना मान्यता प्राप्त हैं और ना ही उनका खुलासा कर रहे हैं।

XV. अनिश्चित ऋणों हेतु प्रावधान (Provision For Doubtful Debts)

3 वर्ष से अधिक के बढ़े हुये बकाया ऋण, जिन्हें अभी तक एकत्र नहीं किया गया है, उनकी समीक्षा की जायेगी तथा प्रावधानों को प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध ऋणों के लिये खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जायेगा। बकाया वसूली के बाद जो सभी प्रयासों को इसकी वसूली के लिये नही हैं उन्हें निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बाद लिखा जाता है। अन्य ऋणों के लिये, जब वहां प्राप्ति की एक अनिश्चितता है उनमें प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के अन्त तक कम्पनी के इन खातों अथवा आय में ऐसी कोई राशि भविष्य वसूली के तहत प्राप्त नहीं हुई है।

XVI. प्रचालक पट्टे (Operating Leases)

जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण भाग पट्टादाता द्वारा रखा जाता है जिसमें लीज प्रचालक (ऑपरेटिंग) पट्टों के रूप में वर्गीकृत की जाती है। कम्पनी ऐसी व्यवस्था के तहत पट्टेदार है। ऐसे पट्टों के तहत भुगतान पट्टे की प्राथमिक अवधि में सीधे तौर पर लाभ एवं हानि के विवरणानुसार चार्ज की जाती है।

XVII. दावे (Claims)

क. कम्पनी से दावों का हिसाब करते समय कम्पनी / मैनेजमैंट एक बार में केवल एक ही स्वीकार करता है।

ख. कम्पनी के ग्राहकों / ठेकेदारों द्वारा किये गये दावों के संबंध में पार्टी के जिस दावे को उठाया गया है केवल उसकी स्वीकृति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

XVIII. संविदा पर हर्जाना (Claims)

नष्ट हुये हर्जाने व ठेके पर अन्य देनदारियों पर जो कार्य प्रगति पर हैं एवं कर रहे हैं उन्हें पूरा करना एक जिम्मेदारी है तथा उनका दायित्व ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया है।

XIX. हानि (Impairment)

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख में (मूर्त और अमूर्त) सम्पत्तियों का आकलन करती है तथा किसी भी हानि के संकेत मिलने पर प्रभावित सम्पत्ति को उसकी हानि के अनुसार दर्ज करती है तथा ऐसी परि–सम्पत्ति को हानि माना जाता है, जब तक की उसकी वसूली योग्य राशि ना हो जाये। वसूली योग्य राशि एक सम्पत्ति या नकदी की बिक्री मूल्य और उसके मूल्य से अधिक ना हो। मूल्य का अनुमान भविष्य में ऐसे सम्पत्ति के सतत उपयोग में निहित वर्तमान मूल्य से है।

ये सम्पत्तियां जो बिगड़ चुकी अथवा खराब हो चुकी हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें हानि के रूप में मान्यता देकर उनको लाभ–हानि खाते में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन है तो उसको परिवर्तित करके लाभ–हानि लेखा में हानि दर्ज करके मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरण टिप्पणियां

विवरण	31.03.2016 तक (शेयर्स की संख्या)	(राशि रु0 में)	31.03.2015 तक (शेयर्स की संख्या)	(राशि रु0 में)
2. शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
प्रति 100 रुपये के साधारण शेयर	500000	50000000	500000	50000000
(ख) जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रति 100 रुपये के साधारण शेयर	240018	24001800	240018	24001800
(ग) बकाया साधारण शेयरों की संख्या का समाधान				
वर्ष के शुरु में	240018	24001800	240018	24001800
वर्ष के अन्त	240018	24001800	240,018	24001800
(घ) 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर–होल्डिंग का विवरण शेयर धारक का नाम				
भारत का राष्ट्रपति	239964	99.9775 %	239964	99. 9775 %
(ङ) आरक्षित पूंजीकरण द्वारा जारी पूर्ण प्रदत्त बोनस इक्विटी व शेयरों का विवरण				
2003-04	120009		120009	
2008-09	80006		80006	
योग	**200,015**		**200,015**	
(च) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	**शून्य**		**शून्य**	
इक्विटी शेयर				
1. शुरुवात की अवधि में बकाया शेयर राशि – 100/– रुपये	240018		240018	
2. अवधि के अंत तक बकाया शेयर राशि – 100/– रुपये	240018		240018	
3 आरक्षित एवं अधिशेष				
(क) साधारण आरक्षित				
वर्ष के शुरुवात में		279553727		259553727
जोड़े : लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस से अंतरित		20000000		20000000
योग (क)		**299553727**		**279553727**
(ख) लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस				
वर्ष के शुरुवात में		1089718676		924513391
घटाये : अनुसूची – II के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास के संशोधन पर संक्रमणकालीन प्रभाव		-		920951
जोड़े : वर्ष के लिये लाभ		546154750		245404235
विनियोजन :				
घटाये :				
(क) साधारण आरक्षित में अंतरित		20000000		20000000
(ख) प्रस्तावित लाभांश (नेट प्रॉफिट का 30%)				
गत वर्ष (नेट प्रॉफिट का 20%)		163846425		49203690
(ग) प्रस्तावित लाभांश पर कर		33355277		10074308
योग (ख)		**1418671724**		**1089718676**
योग (क)+(ख)		**1718225451**		**1369272403**
4 विनिर्दिष्ट आरक्षित				
निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड*		10692423		12286482
अनुसंधान एवं विकास फण्ड		1677200		1677200
निर्यात विकास फण्ड में अंतरित		1290900		1290900
योग		**13660523**		**15254582**
*टिप्पणी : खर्चों का विवरण लेखों पर टिप्पणी संख्या 20.(II) में दिया गया है।				

विवरण		31 मार्च, 2016 तक (राशि रुपयों में)		31 मार्च, 2015 तक (राशि रुपयों में)	
5 अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं					
अन्य (प्रतिधारण कीमत)			54530451		58930802
	योग		**54530451**		**58930802**
6 दीर्घ कालीन प्रावधान					
कर्मचारी के हित–लाभ हेतु प्रावधान			59893737		51224388
	योग		**59893737**		**51224388**
7 वर्तमान देयताएं					
भुगतान योग्य ट्रेड			3784904		4502318
	योग		**3784904**		**4502318**
8 अन्य वर्तमान देयताएं					
विविध देनदार		37065653		39795009	
जमा और अग्रिम		361684533	398750186	416471257	456266266
ग्राहकों की ओर से अग्रिम			20489059		21877667
अन्य देयताएं (टैक्स–कर)			69209707		56201899
बकाया राशि जमा			51459622		29020115
कर्मचारी संबंधित देयताएं			1564348		1816886
अन्य भुगतान योग्य			67413151		21901932
	योग		**608886073**		**587084765**
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से					
विविध देनदार			885666727		1957688911
प्रतिधारण राशि			686784003		535736101
ग्राहकों की ओर से जमा :–					
जमा बकाया		9813508860		6999324521	
जमा राशि पर ब्याज		2250062029	12063570689	1958891045	8958215566
संविदा खर्च हेतु दायित्व			2572301446		
बुक–ओवर–ड्राफ्ट*			596239052		341950069
	योग		**16806561917**		**11793590637**
* जारी किये गये चैकों के कारण बुक ओवरड्राफ्ट, जो सावधि जमा के तहत समायोजित हो जायेंगे।					
9 अल्पावधि प्रावधान					
कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान (उपदान)			607707		3697718
कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान (छुट्टी नकदीकरण)			2752723		3846677
अन्य :					
आयकर हेतु प्रावधान		750056255		501869150	
घटायें : अग्रिम आयकर / टी.डी.एस.		777321845	(27265590)	500879516	989634
लाभांश हेतु प्रावधान		163846425		49203690	
कर वितरण लाभांश हेतु प्रावधान		33355277	197201702	10074308	59277998
	योग		**173296542**		**67812027**

टिप्पणी सं. 10

(राशि रुपये में)

	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मूल्यह्रास									
स्थायी सम्पत्तियां	कुल मान				मूल्यह्रास				निविल मान	
विवरण मूर्त सम्पत्तियां : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार	01.04.2015 को	वर्ष के दौरान जोड़	इस वर्ष बिक्री/ समाशोधन	31.03.2016 को	01.04.2015 को	वर्ष 2015–16 हेतु	वर्ष के दौरान समाशोधन	31.03.2016 तक	31.03.2016 को	31.03.2015 को
बिल्डिंग (एन.ई.एस.डी.)	31158405	-	-	31158405	15642194	885576	-	16527770	14630635	15516210
फर्नीचर और फिटिंग (एन.ई.एस.डी.)	13547405	134834	102636	13579603	10210190	932696	100298	11042588	2537015	3337215
कार्यालय उपस्कर (एन.ई.एस.डी.)	17340010	1701796	331889	18709917	13816449	1197475	298704	14715220	3994697	3523562
मोटर वाहन (एन.ई.एस.डी.)	1124225	529427	505175	1148477	1086151	189976	498095	778032	370445	38074
कम्प्यूटर्स और डाटा प्रोसेसिंग इकाईयां (एन.ई.एस.डी.)	15974483	1713540	847792	16840231	12925096	2465437	800931	14589602	2250629	3049387
उप–योग–क	**79144528**	**4079597**	**1787492**	**81436633**	**53680080**	**5671160**	**1698028**	**57653212**	**23783421**	**25464448**
मूर्त सम्पत्तियां :										
भूमि–पट्टे पर ली हुई*	44665262	-	-	44665262	5324991	496281	-	5821272	38843990	39340271
अ–मूर्त सम्पत्तियां :										
सॉफ्टवेयर	1208945	884436	-	2093381	1097853	163522	-	1261375	832006	111092
उप–योग–ख	**45874207**	**884436**		**46758643**	**6422844**	**659803**	**-**	**7082647**	**39675996**	**39451363**
वर्तमान वर्ष का योग	**125018735**	**4964033**	**1787492**	**128195276**	**60102924**	**6330963****	**1698028**	**64735859**	**63459417**	**64915811**
गत वर्ष का योग	126527377	4076503	4189981	125018735	57207000	6942182	4046258	60102924	64915811	

टिप्पणी :–

* लगभग 90 वर्षों तक पट्टे पर ली गई भूमि ऋण हेतु अनुपातिक रूप में 1996 तक 57,48,075/– रुपये में तथा 3,89,16,187/– रुपये की राशि को 2006 तक प्रयोग की गई ।

** वित्तीय वर्ष 2014–15 में 6330963/- रुपये में 35791/- शामिल राशि को गत अवधि खर्चों में डेबिट किया गया है। वर्ष 2015–16 में 6295172/- रुपये मूल्यह्रास रहा।

कुल मान से कटौती/समाशोधन तथा वर्ष से मूल्यह्रास सहित :

राशि रुपये में

विवरण	कुल मान		आरक्षित मूल्यह्रास	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
निपटारे हेतु आयोजित परिसम्पत्तियां	4004368	2971343	3838927	2868051

प्रबंधन अनुसार, 31.03.2016 तक अचल संपत्तियों के लेखा खातों की प्रविष्टयों में कोई परेशानी सामने नहीं आई।

विवरण		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2015 तक (राशि रुपयों में)
11 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण पर		21680687		18719655
संदिग्ध नामों हेतु प्रावधानों पर		25545747		10838868
घटायें :– आस्थगित कर देयताएं				
कम्पनी अधिनियम और आयकर के बीच स्थायी				
परिसम्पत्तियों के अन्तर पर		850550		1165196
कुल		**46375884**		**28392327**
12 दीर्घ–कालीन ऋण एवं अग्रिम				
आरक्षित – असंदिग्ध समझे गए				
– कर्मचारियों का अग्रिम				
– यातायात अग्रिम (वाहनों के बदलाव द्वारा आरक्षित)		1159590		1,202,018
– हाऊस बिल्डिंग अग्रिम (कम्पनी द्वारा संरक्षित यातायात डीड द्वारा आरक्षित)				
आयकर विभाग से रिकवर योग्य राशि		769718		998,500
वित्तीय वर्ष 2005–06		5835000		5,835,000
वित्तीय वर्ष 2006–07		330850		330,850
अन्य सुविधा प्राप्ति योग्य कर		496481		496,481
कुल		**8591639**		**8,862,849**
13 प्राप्ति योग्य ट्रेड				
निम्न अवधि से बकाया ऋण छः माह से अधिक :				
– असंदिग्ध समझे गए		175889691		161210303
– संदिग्ध समझे गए	72513519		30587350	
घटायें : संदिग्ध नामों हेतु प्रावधान	72513519	-	30587350	-
अन्य नामे – असंदिग्ध समझे गए		248634959		149696669
कुल		**424524650**		**310906972**
14 नकद एवं नकद तुल्यांक				
(क) आग्रादय सहित हस्तगत नकद		435974		216920
(ख) बैंकों में जमा राशि :				
– चालू खातों में		291734211		267,540,115
– जमा खातों में (< एक वर्ष)*	1128982246		1034732145	
– जमा खातों में (> एक वर्ष)	137991655	1266973901	34618532	1069350677
कुल		**1559144086**		**1337107712**
* दिनांक 31.03.2016 तक बैंक गारंटी जारी करने के लिये धारणाधिकार निशान के तहत एफ.डी.आर. का विवरण निम्नलिखित है :–				
क्र.सं. बैंक का नाम		एफ.डी.आर. संख्या	एफ.डी.आर. की राशि ₹	
1 इंडियन ओवरसीज बैंक		511300925	1950000	
2 पंजाब नेशनल बैंक		डी.पी.18772	2555000	
3 पंजाब नेशनल बैंक		जी.आर.–569	11626000	
4 पंजाब नेशनल बैंक		जी.आर.–1814	100000000	
कुल			**116131000**	
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से शेष				
– बचत खातों में			909798779	394451286
– जमा खातों में (< एक वर्ष)		10917736577		9156998229
– जमा खातों में (> एक वर्ष)		645402193	11563138770	573544994	9730543223
कुल			**12472937549**	**10124994489**

विवरण		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2015 तक (राशि रुपयों में)
15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
*कर्मचारियों का अग्रिम				
(अनारक्षित, स्वीकार किये अन्यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त) :				
– यात्रा अग्रिम		311960		54387
– अन्य रिकवरी योग्य अग्रिम		1132437		1241278
प्रगतिशील ठेकेदारों का अग्रिम (वर्तमान बिलों के तहत समाशोधित)			4412085	
– ग्राहकों की ओर से रिकवरी योग्य (ग्राहकों के खाते में जमा की गयी आरक्षित राशि 210029527/-)	242980661	242980661	148132163	152544248
ग्राहकों की ओर से प्राप्ति योग्य				
– ग्राहकों की ओर से प्राप्ति योग्य (संदिग्ध समझे गए)	1301053		1301053	
घटायें : प्रावधान	1301053	-	1301053	-
अन्य				
– असंदिग्ध समझे गए		37491153		19751716
कुल		**281916211**		**173591629**
मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से				
ठेकेदारों का अग्रिम :				
ठेकेदार को लाभबंदी अग्रिम – बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित	125948862		397996074	
प्रगतिशील ठेकेदारों का अग्रिम (वर्तमान बिलों के तहत समाशोधित)	1266526411	1392475,273	275819795	673815869
अग्रिम / जमा		-		794634399
प्राप्ति–योग्य एन.ए.एम.पी. – कोर्ट में जमा		170000000		-
कुल		**1562475273**		**1468450268**
*निदेशकों / विभाग–प्रमुखों की ओर से देय राशि		305444		394600
16 अन्य वर्तमान सम्पत्तियां				
अर्जित ब्याज जो देय नहीं है :				
– बैंक में जमा राशियों पर		84158895		75449248
– स्टाफ को दिए गए ऋणों एवं पेशगियों पर		720357		724749
प्राप्ति योग्य ब्याज		139110056		144225898
समाप्त कार्य की राशि (संदिग्ध परामर्श–शुल्क)		48054640		33784113
निपटारे हेतु छोड़ी गई सम्पत्तियां		165441		103292
सर्विस टैक्स अपील के तहत जमा		39720		-
सेवा–निवृत्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक		18485		18485
समाप्त कार्य की राशि (संदिग्ध)		2572301446		-
– मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से				
कुल		**2844569040**		**254305785**
ब्याज प्रोद्भूत किन्तु देय नहीं – मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से – बैंक में जमा राशियों पर		198847649		200145880
कुल		**198847649**		**200145880**

विवरण		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2015 तक (राशि रुपयों में)
17. अन्य आय				
जमा राशि पर ब्याज (एच एस सी सी फण्ड)	113984813		103209206	
जमा राशि पर ब्याज (सरकारी फण्ड)	729466001	843450814	751349996	854559,202
स्टाफ ऋणों पर ब्याज		179860		190897
दावा नहीं किये गये शेष		56068		23602
पुनः हिसाब में लिये गये प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है		983394		-
निविदा दस्तावेजों की बिक्री		6496177		2461796
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		11383		-
विविध आय		586467		3583
कुल		**851764163**		**857239082**
18. कर्मचारियों के हित–लाभ खर्चे				
वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन / पी.आर.पी. तथा भत्ते		177826115		139548489
भविष्य निधि तथा पेंशन फण्ड में अंशदान		12968571		12496335
उपदान (Gratuity) में अंशदान		607707		3697718
समूह बीमा (Group Insurance) में अंशदान		67972		44916
स्टाफ के आवास के लिए लीज रैण्ट (वसूली का निवल)		17604285		16858017
स्टाफ कल्याण (चिकित्सा एवं छुट्टी यात्रा सहायता सहित)		8296114		8094276
मेडिकल फण्ड ट्रस्ट में अंशदान		2685000		2490000
कल्याण फण्ड ट्रस्ट में अंशदान		1620000		1520000
कुल		**221695764**		**184749751**
19 प्रशासकीय एवं अन्य व्यय				
किराया		2551176		2507059
यात्रा एवं वाहन :				
निदेशक गण (विदेश यात्रा पर 3.39 लाख रुपये सहित,				
गत वर्ष 5.83 लाख)	1577468		583428	
अन्य (विदेश यात्रा पर 6.48 लाख रुपये सहित,				
गत वर्ष 10.13 लाख रुपये)	10302049	11879517	11744227	12327655
बीमा		177335		111737
विद्युत एवं ईंधन		3596235		4096380
प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री		5140438		4018814
डाक एवं टेलीग्राम		550012		770622
टेलीफोन एवं टेलेक्स		1685420		1460874
वाहन रख–रखाव व्यय		87733		156376
वाहन / टैक्सी किराया खर्च (रिकवरी का निवल)		4507668		3597019
विज्ञापन एवं प्रचार		1257170		482406
व्यवसायिक प्रभार तथा प्रदत्त किया गया सेवा–शुल्क		10933724		9887514
मरम्मत एवं रखरखाव				
– भवन	5576454		3067770	
– कार्यालय उपस्कर	445674	6022128	331010	3398780
लेखा–परीक्षा शुल्क – टिप्पणी संख्या 20(XI) देखें		520000		654350

विवरण		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2015 तक (राशि रुपयों में)
कारोबार उन्नति		4696839		2739114
निदेशकों की बैठक फीस		170000		130000
अभिदान तथा सदस्यता शुल्क		139790		23422
विधिक व्यय		23020		1108968
सूचना तकनीकी खर्चे		1167546		935140
निगमित सामाजिक दायित्व खर्चे (CSR)	7405941			
सी.एस.आर. खर्चे (गत वर्ष)	2424000	9829941		4020000
भरती एवं प्रशिक्षण व्यय		775035		722746
चौकीदारी व्यय		2651254		1694211
बैंक प्रभार		624235		-
विविध व्यय		477516		629689
संदिग्ध एवं बुरे डेबिटों हेतु प्रावधान		41926169		14115987
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री हेतु हानि		-		70292
विदेशी मुद्रा पर विनिमय अंतर पर हानि		-		223947
गत–अवधि मद :				
गत–अवधि आय (विवरण हेतु निम्नांकित टिप्पणी देखें)	(524895)		(2596835)	
गत–अवधि खर्चे (विवरण हेतु निम्नांकित टिप्पणी देखें)	16457135	15932240	57184	(2539651)
कुल		**127322141**		**67343452**
गत अवधि मदों का विवरण				
आय :				
परामर्श शुल्क		-		2596835
एफ.डी.आर. पर ब्याज		524895		-
(क)		**524895**		**2596835**
खर्चे :				
यातायात खर्चे		27344		57994
ब्याज भुगतान		16394000		65121
मूल्यह्रास		35791		-
अन्य		-		(65931)
(ख)		**16457135**		**57184**
कुल (ख–क)		**15932240**		**(2539651)**

20. वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

I. आकस्मिक देयताएं जिनकी व्यवस्था नहीं की गयी :–

(क) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण दावा नहीं समझा गया – 1.83 लाख रुपये (गत वर्ष 1.83 लाख रुपये) जिनकी दिनांक 01.01.1997 से वर्ष 2004 से कर्मचारी स्टेट इन्स्योरेन्श कारपोरेशन, कानपुर द्वारा डिमान्ड की गई है।

(ख) स्टाफ की विवादित राशि 34.61 लाख रूपये का निपटारा ना होना। (गत वर्ष 34.61 लाख रुपये) ।

(ग) 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की ओर से निर्माण के संबंध में ग्राहकों को प्रदर्शन की गारंटी परियोजनाओं पर बैंक द्वारा गारंटियां जारी की गई बकाया राशि 555.03 लाख रूपये (गत वर्ष 261.34 लाख रूपये)।

(घ) मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से क्रेडिटों के विदेशी पत्रों को 31.03.2016 से बकाया राशि के लिये एच एस सी सी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि से 1067.96 लाख रूपये विनिमय दर पर बदल दिये गये हैं (गत वर्ष 2031.30 लाख रूपये)। हालांकि, प्रबंधन ने इन मामलों में किसी भी दायित्व के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं रखती है।

(ङ) **आयकर**

- वर्ष 2012–13 हेतु आयकर राशि 1452 लाख रूपये की मांग के लिये कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 143(3) के तहत, निर्धारण अधिकारी के पास सी.आई.टी. (अपील) में अपील दाखिल की थी जिसे सी. आई. टी. (अपील) ने पास करके कम्पनी के हक में आदेश जारी किया है। सी.आई.टी. (अपील) ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2015 के तहत अपनी अपील के द्वारा अनुमति दी तथा क्रेडिट निर्धारण अधिकारी द्वारा टी.डी.एस. का सत्यापन करके अपनी ओर से करदाता को टी.डी.एस. भुगतान की अनुमति देने के लिये निर्देशित किया है।

सेवा कर – सर्विस टैक्स

- मुख्य सेवा–कर आयुक्त, नौएडा के कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्र, दिनांक 20.01.2016 के तहत अक्टूबर, 2009 से सितम्बर, 2010 की अवधि के लिये 5,29,473 रूपये के लिये ब्याज के साथ जुर्माना राशि के रूप में 5,29,473 रूपये की अतिरिक्त मांग के साथ–साथ सेनवैट क्रेडिट की पाबंदी के खाते में मांग की है। कम्पनी ने 28.03.2016 तक आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष अपील की गई है। हालांकि, कम्पनी ने 39720 रूपये विरोध के तहत जमा किये गये हैं।

- मुख्य सेवा–कर आयुक्त, नौएडा के कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्र के तहत, अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिये 10,05,498 रूपये की मांग के लिये ब्याज के साथ जुर्माना राशि के रूप में सेनवैट क्रेडिट की पाबंदी के खाते में मांग की है। कम्पनी ने 30.11.2012 तक 3,18,466 रूपये जमा किया है। सर्विस टैक्स विभाग से 10,05,498 रूपये की अतिरिक्त मांग के साथ–साथ ब्याज के साथ जुर्माना राशि की मांग की है जो दिनांक 25.07.2016 से आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष पड़ी है।

भविष्य निधि

- क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक का ठेकेदार के माध्यम से सिविल कार्यों के लिये लगे संविदात्मक कर्मचारियों के 6,86,222 रूपये के पी.एफ. राशि का आकलन किया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में अपील दायर की है इस संबंध में कम्पनी ने कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया है, मामला अभी तक न्यायाधीन है। कानूनी सलाहकार की सलाह पर (एच एस सी सी में जमा 3,14,909 रूपये पी.एफ. ट्रस्ट के स्वामित्व और आर.पी.एफ.सी. के साथ 1,99,758 रूपये समतुल्य) कम्पनी ने 5,14,667 रूपये जोकि 75 प्रतिशत के बराबर जमा मूल्यांकन दायित्व निर्धारित करने के लिये कहा गया है।

(च) जहां विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ माल की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों द्वारा अदालत / मध्यस्थता के तहत 2881.61 लाख रूपये (गत वर्ष 2826.00 लाख रूपये) लगभग का दावा किया है, जिसमें एच एस सी सी सह–प्रतिवादी है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा इन मामलों में कम्पनी पर कोई देनदारी की उम्मीद नहीं है।

(छ) कुछ खामियों के कारण एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – CRI, Kasauli) में परामर्श शुल्क के संदर्भ में, इस परियोजना में कुछ छोटी–मोटी त्रुटियां होने के कारण, इन्हें ठीक करने एवं इनमें बदलाव के लिये विगत (अक्टूबर, 2006 में) कम्पनी 3 करोड़ रूपये की राशि के लिये सहमत है तथा इस राशि को 2/3 तक बारियों में लिया जायेगा। किन्तु इस निर्णय को बोर्ड अभी मंजूरी नहीं दी है। अब, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कम्पनी ग्राहक के साथ संयुक्त रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इस परियोजना में आई उद्घाटित कमियों को दूर करे। इस असाधारण जिम्मेदारी के कारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH&FW), भारत सरकार ने एक एजेंसी को यह कार्य सौंपा है जो कम्पनी द्वारा 2004 से भवन निर्माण में उपलब्ध करवाई जा रही परामर्श सेवाओं में आई बढोत्तरी को मूल्यांकित करेगी जैसे : जब केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – (CRI, Kasauli) को बिल्डिंग सौंपी जायेगी, यदि मांग नही की जायेगी जब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान एवं वहन कम्पनी करेगी। अभी तक देयता राशि को विनिश्चित नहीं किया गया है। इसके अनुसार, यह लाभ एवं हानि लेखे उसी वर्ष दर्ज की जाती है जब यह देयता निर्धारित की जाती है।

(ज) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09/05/2013 पत्र संदर्भ संख्या टी–14020/27/2009–वीबीडी के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संख्या एस.एल.पी. संख्या 12397/2013 के संदर्भ में उठाये गये मामले के एवज में दिये गये आदेश की अनुपालना में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिये गये न्याय तथा दिनांक 21.12.2012 को जारी आदेश संख्या एफ.ए.क्यू. नम्बर 623/2012 के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है तथा यह निर्णय लिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्तर पर कम्पनी को मैसर्स आई.एस.एस.ए. इंडस्ट्रीज के बेडनेटों (Bednets) के मामले में विधान राशि (Decretal Amount) भुगतान राशि जमा करनी होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 15.05.2013 को एच एस सी सी ने 1700 लाख रूपये जमा कर दिये है तथा शेष धनराशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जमा किया है जो एच एस सी सी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है बाकी अभी उपलब्ध नहीं है जिसे दिनांक 10.05.2013 को आयोजित 128वीं बोर्ड की बैठक (Board Meeting) तथा शेयरहोल्डर्स (Shareholders) की दिनांक 13.05.2013 को आयोजित द्वितीय असाधारण आम–सभा बैठक (2nd Extra Ordinary General Meeting) में अनुमोदित कर दिया गया है। यह राशि ग्राहक – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH&FW) की ओर से जमा, राष्ट्रीय मलेरिया रोधक कार्यक्रम–NAMP से प्राप्त टिप्पणी संख्या 15 तथा 4.77 लाख रूपये बकाया राशि हेतु अल्पअवधि ऋण एवं अग्रिमों की टिप्पणियों के तहत एन.ए.एम.पी.फण्ड के वित्तीय विवरणों में शामिल है। जैसा कि असाधारण आम–सभा बैठक (Extra Ordinary General Meeting) में निर्णय लिया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले से जुड़े व्यक्तिओं / खामिओं के लिये जिम्मेदार संगठन की जांच तथा खामिओं का पता लगाने के लिये विधायन / न्यायालयों के आदेशों का दायित्व निभाने तथा मामले से जुड़ी खामिओं / भूल / चूक की जांच (Inquiry) स्थापित करने के लिये निवेदन किया गया है। विशेषरूप से इन भूल – चूकों के कारणों के लिये संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके विधायन में एच एस सी सी विधायनार्थ उत्तदायी नहीं है।

II. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) पर 114.24 लाख रूपये (गत वर्ष 40.20 लाख रूपये) खर्च किये हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के 2 प्रतिशत औसत कर पश्चात लाभ का 74.06 लाख रूपये खर्च किये हैं। इसके अलावा कम्पनी ने 40.18 लाख रूपये और खर्च किये हैं जोकि (सी.एस.आर. फण्ड खाते में रिजर्व के रूप में पड़ी बकाया राशि में से 122.86 लाख रूपये खर्च किये गये हैं) वर्ष के अन्त तक, कम्पनी के सी.एस.आर. फण्ड खाते में 1,06,92,423 रूपये सुरक्षित बकाया पड़े हैं तथा नई दिशाओं की तलाश जारी है, तदनुसार इस राशि को आगामी वर्षों में खर्च किया जायेगा।

III. ग्राहकों से प्राप्त धन को रखने के लिए किये गये करार के निबंधन एवं शर्तोंनुसार अलग बैंक खातों (कायिक खाते Corpus Account) में रखा जाता है। इस तरह के ग्राहकों के साथ हुए समझौते के लिये कम्पनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न सिविल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर परामर्श–शुल्क के रूप में 89700.34 लाख रुपये (पिछले वर्ष 74130.84 लाख रुपये) प्राप्त किए हैं।

IV. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने ग्राहक के रूप में जमा की गई धनराशि की तिथि से ब्याज के लिये कम्पनी पर दावा किया है। ग्राहकों के साथ करार के अनुसार, कम्पनी ने ब्याज राशि के रूप में ग्राहक खाते में शून्य रूपये (3 गत वर्ष जैसे य 2014–15 में शुन्य रूपये) उपलब्ध किये है। वर्ष 2013–14 में ग्राहक के खाते में 353.24 लाख रूपये क्रेडिट किये तथा गत वर्ष 2013–14 की ब्याज राशि 280.06 को जमा किया गया है। वर्तमान वर्ष में, एम्स, नई दिल्ली द्वारा ना तो ब्याज राशि को जमा करने के लिये कोई निवेदन प्राप्त हुआ है और ना ही एम्स, नई दिल्ली की ओर से ग्राहक खाते (एम्स, नई दिल्ली) में ब्याज राशि जमा करने के लिये कोई निवेदन प्राप्त हुई है।

V. कम्पनी को दी गई सूचनाओं के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले नियम में पार्टियों पर, निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक ग्राहकों की ओर से या उन पर, किसी भी प्रकार का बकाया / देय राशि देने योग्य नहीं हैं। (गत वर्ष शुन्य रूपये)

VI. कम्पनी ने विविध देनदारों को पुष्टिकरण पत्र (Confirmation Letter) भेजा है किन्तु उनकी ओर से आज तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अधिकतर पार्टियों के खातों में जमा राशिओं और विभिन्न शेष राशियों में एच एस सी सी द्वारा ट्रेड–पेयेबल, लीज–डिपोजिट, ई.एम.डी. E.M.D. तथा सिक्योरिटी डिपोजिट और विविध लेनदारों, जमा राशिओं की पुष्टि शेष राशि निपटारा होने पर कर दिया जाता है।

VII. ग्राहकों के कार्यों में ट्रेड–पेयेबल – विविध लेनदारों के क्लैम न किये गये खातों का निपटारा उन्हें स्थानातंरित करके संबंधित ग्राहक खातों को उसी वर्ष उनसे निपटाये खातों के अनुसार समाशोधित कर लिये जाते है।

VIII. अ–समायोजित राशि जो ग्राहकों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों, सरकारी अधीनस्थ निकायों, लोक उद्यम विभागों इत्यादि) के खाते में पिछले 4 वर्षों से पड़े 1387.81 लाख रूपये (गत वर्ष 939.56 लाख रूपये) जिसमें कायिक खाते (Corpus Account) में पड़े 865.68 लाख रूपये (गत वर्ष 518.48 लाख रूपये) सहित को उसी वर्ष भुगतान कर दिया जाता है।

IX. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याणार्थ अनुमोदित कर्मचारी चिकित्सा एवं कल्याण न्यास में क्रमश: 26.85 लाख तथा 16.20 लाख रूपये (गत वर्ष प्रत्येक पर 24.90 लाख तथा 15.20 लाख रूपये) का अंशदान किया है। हालांकि, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कम्पनी की सटीक दायित्व रिपोर्टिंग तिथि पर पता लगाया नहीं गया है।

X. वर्ष 2015–16 हेतु 318.14 लाख रूपये (गत वर्ष 53.65 लाख रूपये) बकाया व्यय सहित प्रदर्शन संबंधित वेतन (Performance Related Pay –PRP) भी शामिल है।

XI. लेखा–परीक्षकों का भुगतान (Payment of Auditors)*

(रूपये लाख में)

विवरण	2015–16	2014–15
लेखा–परीक्षा शुल्क	4.50	4.50
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.70	0.70
बाह्य खर्चों की प्रतिपूर्तियां	0.00	1.34
योग	5.20	6.54

*सेवा–कर को छोड़कर

XII. बोर्ड निदेशकों के मतानुसार, 31.03.2016 से लागु चालू सम्पत्तियों एवं ऋणों तथा अग्रिमों की राशि साधारण मानकानुसार कारोबार में कम से कम उक्त राशि दर्शायी गई तारिख के बराबर ही है जोकि तुलन पत्र के शुरू में वर्णित की गई थी।

XIII. वर्ष 2015–16 के लिये कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक स्वायत्त फर्म द्वारा किया जाता है। सत्यापन में पाई गई अनुपयोगी संपत्ति कम्पनी के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार इसके साथ पेश की गई हैं। वर्ष के दौरान, 62149 रूपये (गत वर्ष 103292 रूपये) की मात्रा " निस्तारण के लिये आयोजित की सम्पति " को अन्य वर्तमान सम्पतियों को दिखाने के लिये अलग से सेट किया गया है।

XIV. विदेशी मुद्रा के संदर्भ में (मुद्रा परिवर्तनों सहित) की सूचना :

(रूपये लाख में)

विवरण	2015–16	2014–15
विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय :		
– यात्रा	9.88	5.83
– सी. आई. एफ. आधार पर आयात		
लागत पूंजीगत माल (ग्राहकों की ओर से)	2740.22	913.17

XV. लेखा मानक – 15 के तहत प्रकटण "कर्मचारियों के हित–लाभ "Employees Benefits"

" कर्मचारियों के हित–लाभ में " से संबंधित प्रणाली का प्रकटन निम्नलिखित है :–

(क) निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

i. **भविष्य निधि** (Provident Fund)

कम्पनी की नीति प्रतिभूतियों में धन निवेश करती है जिसके लिये अलग ट्रस्ट अर्थात "एच एस सी सी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट" के लिये पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिये निश्चित योगदान देता है। वर्ष के लिए कोष में योगदान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि खाते में समाशोधित कर लिया जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने नियोक्ता की ओर से अंशदान के रूप में भविष्य निधि में 95.85 लाख रूपये (गत वर्ष 100.08 लाख रूपये) का योगदान किया है।

ii. **चिकित्सा सुविधा** (Medical Facility)

वर्ष के दौरान कम्पनी की ओर से ट्रस्ट के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 26.85 लाख रूपये (गत वर्ष 24.90 लाख रूपये) का योगदान दिया गया है जिसमें सतत कर्मचारियों की बिमारियों का खर्चा भी शामिल है।

(ख) दीर्घ–कालीन योजनाएं (Long Term Plan)

i. **उपदान** (Gratuity)

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अनुसार मान्यता दी जाती है :–

क्रम सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1.	**सदस्यता विवरण**		
	सदस्यों की संख्या	163	152
	औसत आयु (वर्ष)	40.17	39.74
	औसत मासिक आय (रूपये)	50204.39	47242.22
	औसत पूर्व सेवा (रूपये)	9.67	10.13

2.	बीमांकक धारणाएं		
	मृत्यु संख्या दर	एल.आई.सी. (2006–08) अंतिम	एल.आई.सी. (1994–96) अंतिम
	वापसी दर	1% से 3% आयु पर निर्भर	1% से 3% आयु पर निर्भर
	छूट दर	8 % वार्षिक	8% वार्षिक
	आय वृद्धि	7% वार्षिक	7% वार्षिक
3.	परिणामों का मूल्यांकन		
	गत–सेवा हित–लाभ का पी.वी.	385.39	359.95
	वर्तमान सेवा लागत	23.60	20.50
	कुल सेवा उपदिान	1101.01	1007.55
	प्रोद्भूत उपदान	499.04	465.34
	एल सी एस ए (LCSA)	601.97	542.21
	नवीकरण दिनांक से फण्ड राशि	404.81	345.09

वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नीति के अनुसार उपदान के लिये योगदान 6.08 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

ii. छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

अनुपस्थिति हेतु मुआवजा घटकों का सारांश निम्नलिखित है (छुटटी प्रतिपूर्ति)

I. वर्तमान मूल्य पर आभार में परिवर्तन

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	कार्यकाल की शुरूवात पर आभार का वर्तमान मूल्य	550.71	486.37
(ख)	लाभांष लागत	42.68	41.34
(ग)	वर्तमान सेवा लागत	71.21	63.01
(घ)	किया गया हित–लाभ भुगतान	(55.92)	(56.31)
(ड)	वास्तविक (प्राप्त) / आभार पर हानि	17.78	16.28
(न)	कार्यकाल के अन्त में आभार का वर्तमान मूल्य	626.46	550.71

II. लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किये गये खर्चे

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	वर्तमान सेवा मूल्य	71.21	63.01
(ख)	लाभांश लागत	42.68	41.34
(ग)	वास्तविक (प्राप्त) निवल / कार्यकाल में दर्ज हानि	17.79	16.28
(घ)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किये गये खर्चे	131.67	120.63

III. देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	अथ निवल देयता	550.71	486.37
(ख)	उपरोक्त खर्च	131.67	120.63
(ग)	भुगतान किये गये हित–लाभ	(55.92)	(56.31)
(घ)	शेष निवल देयता	626.46	550.71

IV. देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क)	छूट दी गई दर (%)	8	7.75
(ख)	भविष्य में वेतन–वृद्धि (%)	5.50	5.25
(ग)	सेवा–निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

XVI. प्रतिवेदन अंश (Segment Reporting)

(क) प्रतिवेदन अंश (Segment Reporting)

लेखा मानक टिप्पणी "प्रतिवेदन अंश" (Segment Reporting) संख्या ए.एस.–17 के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर, कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों में उसका कारोबार निर्माण गतिविधियां, परामर्श, उपकरणों की आपूर्ति, चिकित्सा आदि से संबंधित है। अतः इसके सभी प्रचालक आन्तरिक संबंधित हैं जो "प्रतिवेदन अंश" (Segment Reporting) संख्या ए. एस.–17 के लेखा मानक के अन्तर्गत एकल खण्ड के तहत आते हैं।

(ख) भौगोलिक अंश (Segment Reporting)

जैसा कि विदित है कम्पनी की गतिविधियां मुख्य रूप से देश के भीतर ही चल रही हैं तथा उसके उत्पाद / सेवाओं की प्रकृति उसमें सौदों पर विचार करके / निर्भर करता है, अतः उसके परिचालन जोखिम और रिटर्न सभी यही है और यही इसका भौगोलिक क्षेत्र भी है।

XVII. गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित करके एवं उनका दौबारा से ग्रुप बनाकर जहां तक संभव होता है उन्हें वर्तमान वर्ष के लिये तुलनीय बनाया जाता है।

XVIII. परिचालन लाभ (Operating Profit)

परिचालन लाभ 62,24,88 रूपये की गणना की गई है इस पर निम्नरूप से काम कर रही कम्पनी की आय शून्य से परिचालन व्यय पर विचार किया।

	राशि (रूपये)
असाधारण और असाधारण मद पूर्व लाभ	87,98,05,609.00
जोड़े :– क्रेडिट किया गया ब्याज / सरकारी ग्राहकों को भुगतान किया गया	59,44,47,522.00
घटायें :– अन्य आय (ब्याज राशि 8434 लाख रूपये सहित)	(85,17,64,163.00)
परिचालन लाभ	62,24,88,968.00

XVII. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा टैक्स की मांग का कोई प्रावधान उठाया गया है तथा रिपोर्टिंग तिथि से छह महीने की अवधि के मध्य निर्धारण वर्ष 2013–14 में 42,87,870 रूपये की मांग के लिये कोई देयता बकाया नहीं है।

XX. लेखा मानक – 18 के तहत प्रकटन "पार्टी से संबंधित प्रकटन" "Related Party Disclosures"

संबंधित पार्टी लेन–देन में निम्नलिखित है : –

(क) संबंधित पार्टियों की सूची–शून्य

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

	नाम	संबंध का प्रकार
(i)	श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
(ii)	श्री एस. के. जैन निदेशक (इंजीनियरिंग)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
(iii)	श्री आर. के. पाठक उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ग) संबंधित पार्टियों का संचालन : शून्य

(घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

पारिश्रमिक खर्चों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (इंजीनियरिंग) तथा श्री आर. के. पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव को पारितोशिक के तौर पर 78.90 लाख रूपये (गत वर्ष 78.24 लाख रूपये) दिये गये प्रतिपूर्ति खर्चों का विवरण उपरोक्त वर्णित पैरा में उल्लेख कर दिया गया है :–

(रूपये लाख में)

	2015–16				2014–15			
विवरण (देय / देने योग्य)	सी एम डी	निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	कुल	सी एम डी	निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	कुल
वेतन एवं भत्ते	23.01	23.88	11.43	58.32	25.72	22.87	10.58	59.17
भविष्य निधि में अंशदान	2.09	2.16	1.10	5.35	1.91	2.04	1.01	4.96
मकान किराया (निवल)	5.46	4.82	2.34	12.62	5.48	2.92	2.35	10.75
चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत एवं परिलब्धियां	1.15	1.93	0.53	3.61	1.47	1.76	0.13	3.36
कुल	31.71	32.79	15.40	79.90	34.58	29.59	14.07	78.24

इसके अलावा, उक्त पारिश्रमिक में उपदान योजना तथा सामूहिक बीमा योजनाओं एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है।

XXI. अर्जित प्रति शेयर से संबंधित लेखा मानक – 20 "Earing Per Share"

	प्रति शेयर उपार्जन का परिकलन (Calculation of E.P.S.)	2015–16	2014–15
क.	इक्विटी शेयर–धारकों को वर्ष हेतु आरोप्य निवल लाभ	546154750	245404235
ख.	वर्ष के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की संख्या	240018	240018
ग.	प्रति शेयर मूल उपार्जन	2275.47	1022.44
घ.	प्रति शेयर कम की गई आमदनी	2275.47	1022.44
ङ.	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	100	100

XXII. पेंशन (Pension)

सार्वजनिक उद्यम विभाग का सेवानिवृत्ति लाभ के लिये परिभाषित योगदान योजना के संबंध में सभी सी.पी.एस.ई. कार्यालयों के लिये दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.). जी.एल.–VIII / 09 के तहत, पेंशन फण्ड की दिशा में प्रावधान प्रशासनिक मंत्रालय से मंजूरी के अभाव में किया गया है। बोर्ड की मंजूरी के पश्चात इसे प्रशासनिक मंत्रालय के पास उनके संदर्भित पत्र दिनांक 03.10.2013 तहत अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया गया है। एक ही वर्ष में जो पेंशन फण्ड की योजना प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट गणना के आधार पर लेखा बहियों में प्रदान किया जायेगा।

XXIII. पेंशन राजस्व मान्यता के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – सिविल परियोजना

कम्पनी ने अपनी सभी लेखांकन नितियों को अपनी सभी सिविल परियोजनाओं के लिये किये गये कार्यों के मूल्य के परिचालन के लिये राजस्व मान्यताओं के लिये लेखांकन नीतियों को बदल लिया है। यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पश्चात किया गया है। लेखा नीति में परिवर्तन लाभ या काम किया कम्पनी के लाभ–हानि खाते में अनुबंध व्यय के रूप में लिया जाता है, इससे मूल्य पर व्यय की राशि के रूप में कम्पनी के नुकसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछले वर्ष के आंकड़े फिर से एकजुट हैं और पुनः व्यवस्थित रूप में करने के लिये इन्हें तुलनीय बनाया गया है।

XXIV. राजस्व मान्यता के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – कॉरपस फण्ड पर ब्याज

कम्पनी ने ग्राहकों के (कॉरपस) खातों पर एफ.डी.आर. संबंधित राशि पर मिलने वाली ब्याज राशि के लिये अपनी लेखांकन नीतियों को बदल दिया है। यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। लेखा नीति में परिवर्तन से लाभ या कम्पनी के नुकसान पर

इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्राहकों द्वारा दी गई जमा धनराशि पर लगे कुल अर्जित आय पर ब्याज को कम्पनी की "अन्य आय" के रूप में दर्ज किया जाता है। ग्राहकों के साथ इसी तरह करार में पारस्परिक खण्ड के कारण ब्याज आय के रूप में 5944.48 लाख रूपये (गत वर्ष 6415.18 लाख रुपये) क्रेडिट / भुगतान किये गये हैं। पारस्परिक हित वाले भुगतान के उन मामलों में जहां करार को विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, ऐसे मामलों में ब्याज से आई हुई आय को कम्पनी की आय के रूप में दर्ज कर लिया जाता है, जोकि वर्तमान वर्ष में 1038.88 लाख रूपये (गत वर्ष 1098.32 लाख रुपये) थी।

XXV. वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग की ओर से भेजे गये दिनांक 05.01.2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ.नम्बर 3(3)-बी (एस) / 2015 के तहत, कम्पनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में 30% के वार्षिक लाभांश की घोषणा की है जोकि पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ के रूप में लाभांश के भुगतान /20.05% से अलग है, जिसे इक्विटी शेयरधारकों को कर पश्चात लाभ पर भुगतान करने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में लाभांश राशि 16,38,46,425 रूपये (गत वर्ष 4,92,03,690 रुपये) की घोषणा की गई है।

XXVI. क्षति के कारण हुये घाटे का किसी भी लेखा बहियों का कोई भी दायित्व / देयता नहीं है, यदि कोई हो तो, देयता परियोजनाओं के संबंध में लम्बित निपटाने योग्य राशि और ग्राहक के साथ खातों की सुलह पर उत्पन्न होने वाली सम्भावनाएं जो पूरी हो चुकी हैं या दिनांक 31.03.2016 से जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर हैं उन्हें निपटाने का कार्य वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

XXVII. दिनांक 31.03.2016 से आयकर से संबंधित 1452 लाख रुपये की विवादित देय राशि के विवरण का उल्लेख पैरा I (ई) में कर दिया गया है जबकि कम्पनी द्वारा आयकर आकलन वर्ष 2012–13 के तहत जमा किये गये सर्विस टैक्स का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र.सं.	कानून का नाम	देयों की प्रकृति	राशि शामिल	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है	किस प्राधिकरण के तहत विवाद लंबित है	किस के तहत भुगतान किया गया
1	सर्विस टैक्स अधिनियम	सर्विस टैक्स	529473 / – तथा दण्ड और ब्याज के बराबर राशि	अक्टूबर 2009 सितम्बर 2010	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)	39720 रूपये
2	सर्विस टैक्स अधिनियम	सर्विस टैक्स (केनवट क्रेडिट)	1005498 प्लस ब्याज	अप्रैल 2010 – मार्च 2012	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)	318466 रूपये (मांग स्वीकार)

1 से 20 सारणियों पर हस्ताक्षर

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।
कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0 / –
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 19.09.2016

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से
ह0 / –
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03555957

ह0 / –
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन: 06573103

ह0 / –
(सौरभ श्रीवास्तव)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0 / –
(आर. के. पाठक)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)
एंड कंपनी सचिव

सतर्कता कार्य–कलाप

कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। दिनांक 14.11.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये उप–महाप्रबंधक (विद्युत) श्री राजीव कुमार अग्रवाल, कम्पनी में अंश–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेमैंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। सांविधिक एजेंसियों को वापसी एवं रिपोर्ट भेज दी जाती है एवं सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले नियमों, अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक तत्वों को अपनाया जाता है एवं मांगी गये तत्वों को समय पर उचित माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अग्रेशित सुधार एवं उन्नति हेतु उनकी समीक्षा जारी है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 31 अक्टूबर, 2016 से 5 नवम्बर, 2016 के दौरान **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया गया है। यहां पहले दिन ही कर्मचारियों द्वारा शपथ गृहण समारोह से आयोजित किया गया।

श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री आर. के. अग्रवाल, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने एच एस सी सी कर्मचारियों को सतर्कता शपथ दिलाई

स्वतंत्रता दिवस समारोह–2016

एच एस सी सी मुख्यालय में 70वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उल्लास और उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश पाण्डेय, सी एम डी, एच एस सी सी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी को सम्बोधित किया। इस दौरान, अपने अध्यक्षीय उद्बबोधन में उन्होंने सफलता की नई ऊंचाईयों को छूने के लिए कंपनी के समस्त कर्मचारियों को प्रेरित करने का आह्वाहन किया। इसके अतिरिक्त, वृक्षा रोपण के मद्देनजर, उन्होंने एक पौधा लगाया तथा सभी कर्मचारियों द्वारा एक–एक पौधा लगाकर इस अवसर की सार्थकता सिद्ध की।

वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग प्रमुख

श्री एस. ए. उस्मानी
मुख्य महाप्रबंधक

श्री वी. वी. गोविन्दा राव
मुख्य महाप्रबंधक

श्री एस. सी. गर्ग
मुख्य महाप्रबंधक

श्री सौरभ श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक

श्री करम वीर खन्ना
आई. टी. विभाग

श्री प्रमोद कुमार
प्रापण

श्री पी. के. भाटिया
ऋषिकेश

श्री राजीव
एन.आर.एच.एम. – छत्तीसगढ़

श्री एस. सामान्ता
उत्तर पूर्व

श्री जी. एस. वानी
वास्तुकला विभाग

श्री रविन्द्र कुमार पाठक
वित्त एवं लेखा तथा कम्पनी सचिव

श्रीमती मोनिशा तनखा
वास्तुकला एवं स्ट्रक्चर

श्री आर. के. अग्रवाल
विद्युत

श्री देबाशिश बंद्योपाध्याय
विदेश परियोजनाएं

श्री शिवन्ना
शिलॉग

श्री तापस नाथ
प्रापण

श्री विकास थापर
गाहनलागुन

श्री ए. के. नीमा
सूचना तकनीकी

श्री एस. एस. पोपली
पी.एम.एस.एस.वाई.

श्री नरेन्द्र कुमार
कारोबार विकास

श्री रवि रंजन
एन. आर. एच. एम., उ. प्र.

श्री विनोद कुमार
सिविल स्ट्रक्चर

श्री बिनोद कुमार
परियोजनाएं

श्री अतुल ढांडा
परियोजनाएं

श्री संजीव कुमार खरे
कोलकाता

श्री मनोज शर्मा
परियोजनाएं

एच एस सी सी के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (द्वितीय तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट न. 4, डी. डी. ए. – एल. एस. सी., सेंटर – II
वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली – 110096
सी.आई.एन. संख्या : U 74140 DL 1983 GOI 015459

कॉरपोरेट कार्यालय :

ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)

परियोजना एवं साईट कार्यालय :

असम

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई,
क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
प्रथम तल, एक्स–पुलिस लाईन
नजदीक काली मंदिर, पोस्ट– तेजपुर
जिला– सोनितपुर, पिन – 784001 (असम)

छत्तीसगढ़

मकान नम्बर : बी–19/7, नजदीक पानी की टंकी,
न्यू राजेन्द्र नगर,
रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़)

प्रमुख साइट कार्यालय (MAJOR SITE OFFICES)

01. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली
02. एन.सी.आई., झज्जर, AIIMS, नई दिल्ली
03. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), सरिता विहार, नई दिल्ली
04. सफदरजंग अस्पताल का पुनःर्विकास, नई दिल्ली
10. कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज (KCMC), करनाल, हरियाणा
11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), रायबरेली
19. क्षेत्रीय पेरा–मेडिकल एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (RIPANS), आइजोल
20. डिस्ट्रीक्ट जनरल अस्पताल, डिकोया, श्रीलंका
21. आई. आई. टी., खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
22. पी.जी.आई., सेटेलाइट सेंटर, संगरूर, पंजाब
23. केरला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की साइटें
24. छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की साइटें
25. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की साइटें
11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गुंटूर
11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी
11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नागपुर

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (फेस III) के तहत मेडिकल कॉलेज/संस्थानों का उन्नयन

21. सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
22. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम
23. असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रुगढ़, असम
24. गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी, गोवा
25. इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश
26. सरकारी मेडिकल कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश
27. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश
28. जी. आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
29. सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
30. सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर, महाराष्ट्र
31. एम. के. सी. जी. मेडिकल कॉलेज, बहरामपुर, ओड़ीसा
32. वी. एस. एस. मेडिकल कॉलेज, बुर्ला, ओड़ीसा
33. सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला, पंजाब
34. एस. पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान
35. आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान
36. सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोटा, राजस्थान
37. सरकारी मेडिकल कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश
38. एम. एन. एल. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
39. नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल
40. मेडिकल कॉलेज, पाली, राजस्थान
41. मेडिकल कॉलेज, नाहन, हिमाचल प्रदेश
42. मेडिकल कॉलेज, चम्बा, हिमाचल प्रदेश
43. मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
44. मेडिकल कॉलेज, ईटा नगर, अरुणाचल प्रदेश
45. मेडिकल कॉलेज, निग्रीहम्स, शिलौंग
46. केंसर अस्पताल, निग्रीहम्स, शिलौंग
47. नर्सिंग कॉलेज, निग्रीहम्स, शिलौंग
48. मेडिकल कॉलेज, फाल्कौन, आइजाल

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
122–124, मॉडल बस्ती,
नई दिल्ली – 110005

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
4, शिवाजी मार्ग,
नई दिल्ली – 110015

सचिवालीय लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव
फ्लैट नम्बर 3, सूद बिल्डिंग
तेल मिल रोड,
राम नगर, पहाड़गंज,
नई दिल्ली – 110055

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
एच डी एफ सी बैंक
ओरिएंटल बैंक
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सेवा वर्णक्रम

एच एस सी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
(एक मिनी रत्न श्रेणी-I कम्पनी)

कारपोरेट कार्यालय :
ई-6 (ए), सैक्टर-1, नोएडा - 201 301 (उ.प्र.)
फोन : 0120-2542436, 37, 38, 39, 40
फैक्स : 0120-2542447, 2533001
सी.आई.एन. संख्या : यू74140यूपी1983जीओआई015459
वेबसाइट : www.hsccltd.co.in